जीओवीटी। सचिव के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी,

भूमि और निर्माण विभाग और एक और

वी.

एम/एस। के. एल. राठी स्टील लिमिटेड और अन्य

2023 का विविध आवेदन संख्या 414

में।

(2016 की सिविल अपील संख्या 11857)

17 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भारत का संविधानः कला. 137 – उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा-द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की समीक्षा

इस न्यायालय ने, बाद के निर्णय के आधार पर

निर्णय-तथ्यों, भूमि अधिग्रहण मामलों की रखरखाव-एस की व्याख्या पर पुणे नगर निगम के मामले के आधार पर। 24 (2) 2013 के अधिनियम, इस न्यायालय द्वारा पारित कई निर्णय-हालाँकि, बाद में पुणे नगर निगम का मामला

* * इंदौर विकास में संविधान पीठ द्वारा खारिज किया गया

प्राधिकरण का मामला-संविधान पीठ ने विशेष रूप से कहा और कहा कि न केवल पुणे नगर निगम के मामले में दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया गया है, बल्कि अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम के मामले का पालन किया गया है, उन्हें भी खारिज कर दिया गया है।

पुनर्विचार याचिकाओं में आक्षेपित निर्णयों/आदेशों की समीक्षा करने और उन्हें वापस लेने और सिविल अपीलों या विशेष अनुमति याचिकाओं को गुण-दोष पर विचार के लिए बहाल करने के लिए-आयोजितः मतभेद को देखते हुए, मामले को माननीय प्रमुख के समक्ष रखा जाए भारत का न्याय। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। 47 आर. 1 – भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार,

पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013। 24 (2) - सुप्रीम कोर्ट

नियम, 2013-या। 47 आर. 1 .

इन द ऑर्डर ऑफ एम. आर. शाह, जे.

** इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहर लाल और

अन्य (2020) 8 एस. सी. सी. 129: [2020] 3 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

* पुणे नगर निगम बनाम। हरकचंद मिसिरीमल

सोलंकी (2014) 3 एससीसी 183: [2014] 1 एससीआर 783; इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & अन्य (2018) 3 एससीसी 412 [2018] 2 एससीआर 1; 209 [2023] 6 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मथुरा प्रसाद बाजु जैसवाल और अन्य बनाम। दोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय (1970) 1 एस. सी. सी. 613: [1970] 3 एससीआर

830 ; सहायक आयुक्त, आयकर, राजकोट बनाम।

सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (2008) 14

भारत में क्रिकेट बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब (2005) 4 एससीसी 741 : [2005] 1 एस. सी. आर. 173; श्री बालाजी नगर आवासीय

एसोसिएशन। वी. तमिलनाडु राज्य (2015) 3 एससीसी 353: [2014]

7 एससीआर 799; बीएसएनएल बनाम। भारत संघ (2006) 3 एससीसी 1:

[2006] 2 एस. सी. आर. 823; नीलिमा श्रीवास्तव बनाम। यू. पी. राज्य

(2013) 8 एससीसी 320: [2013] 11 एससीआर 25; बेघर फाउंडेशन वी। के. एस. पुट्टास्वामी (2021) 3 एससीसी 1; इंदौर

विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र (2018) 1 एससीसी 733

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 1 एससीआर 783

संदर्भित किया गया है

पैरा

4

[2018] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.1

[1970] 3 एससीआर 830

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.5

[2008] 13 एससीआर 421

पैरा

4.6

संदर्भित किया गया है

[2005] 1 एससीआर 173

संदर्भित किया गया है

पैरा

4.7

[2014] 7 एससीआर 799

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.5

[2006] 2 एससीआर 823

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.5

[2013] 11 एससीआर 25

पैरा

5.6

संदर्भित किया गया है

(2021) 3 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.7

(2018) 1 एस. सी. सी. 733

संदर्भित किया गया है

पैरा

6

पीछा किया।

पैरा 9

बी. वी. नागरत्ना के निर्णय में, जे.

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल (2020) 8

एस. सी. सी. 129 [2020] 3 एस. सी. आर. 1-इसके बाद आया।

पुणे नगर निगम बनाम। हरकचंद मिसिरीमल

सोलंकी (2014) 3 एससीसी 183: [2014] 1 एस. सी. आर. 783; इंदौर टी. एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर.

सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड।

विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र (2018) 1 एस. सी. सी. 733; इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र (2018) 3 एससीसी 412 [2018] 2 एससीआर 1; इंदौर विकास प्राधिकरण v. श्याम वर्मा (2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 3324;

मथुरा प्रसाद सरजू जैसवाल और अन्य बनाम। दोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय एयर 1971 एससी 2355: [1970] 3 एस. सी. आर. 830; सहायक आयुक्त, आयकर, राजकोट बनाम। सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (2008) 14 एस. सी. सी. 171: [2008] 13 एस. सी. आर. 421; डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। (2014) 5 एससीसी 75: [2014] 1 एस. सी. आर. 308; राजेंद्र कुमार बनाम। रामभाई (2007) 15 एस. सी. सी. 513; बेघर फाउंडेशन अपने सचिव के माध्यम से

वी. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य। (2021) 3

एस. सी. सी. 1; के. एस. पुट्टुस्वामी बनाम। भारत संघ (2019) 1 एस. सी. सी. 1 [2018] 8 एस. सी. आर. 1; भारत संचार निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2006) 3 एस. सी. सी. 1: [2006] 2 एससीआर 823; कमलेश वर्मा बनाम। मायवती और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 320: [2013] 11 एस. सी. आर. 25; द बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड v. बिहार राज्य ए. आई. आर. 1955 एससी 661: [1955] एस. सी. आर. 603; विशेश्वर

प्रताप साही बनाम। पार्थ नाथ ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 212; हरि शंकर पाल बनाम। अनाथ नाथ मित्तर ए. आई. आर. 1949 एफ. सी. 106; मोरन मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम। सबसे रेव. मार पॉलोस एथानासियस ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 526: [1955] एस. सी. आर. 520; वाई. पी. चावला और अन्य बनाम एम. पी. तिवारी और एक अन्य आकाशवाणी 1992 एस. सी. 1360: [1992] 2 एससीआर 440; शकुंतला देवी बनाम। कमला (2005) 5 एस. सी. सी. 390; लिली थॉमस बनाम। भारत संघ (2000) 6 एससीसी 224: [2000] 3 एससीआर 1081; हरिदास दास बनाम। उषा रानी बनिक (2006) 4 एस. सी. सी. 78: [2006] 3 एस. सी. आर. 87; थुंगभद्र इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। ए. पी. ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1372 की सरकारः [1964] 5 एस. सी. आर. 174; भारत संघ बनाम। मोहम्मद. नय्यर खलील (2000) 9 एस. सी. सी. 252; शांति देवी बनाम। हरियाणा राज्य (आर. पी. डी. 1999 का सं. 1249) (1999) 5 एस. सी. सी. 703; उषा भारती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 7 एससीसी 663: [2014] 4 एससीआर 1076; गुजरात राज्य और ए. एन. आर. वी. न्यायमूर्ति आर. ए. मेहता (सेवानिवृत्त) (2013) 3 एस. सी. सी. 1: [2013] 1 एस. सी. आर. 1; मदन

मोहन पाठक और अन्र। वी. भारत संघ ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 803 (1978) 2 एस. सी. सी. 50: [1978] 3 एससीआर 334; नीलिमा [2023] 6 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रीवास्तव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2021) एससीसी ऑनलाइन

610 ; सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम। उमा देवी (3) (2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एस. सी. आर. 953; भारत संघ बनाम।

मेजर एस. पी. शर्मा (2014) 6 एससीसी 351: [2014] 4 एससीआर

327 ; विशेष न्यायालय विधेयक, 1978, आर. ई. (1979) 1 एस. सी. सी.

380 : [1979] 2 एस. सी. आर. 476; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमल

सेनगुप्ता (2008) 8 एससीसी 612: [2008] 10 एससीआर 4; हरि

शंकर पाल बनाम। अनंत नाथ मित्तर 1949 एफ. सी. आर. 36; पेरिस

देवी वी. सुमित्री देवी (1997) 8 एस. सी. सी. 715: [1997] 4 पूरक।

एस. सी. आर. 470; नालागढ़ देहाती कूप। परिवहन सोसायटी

लिमिटेड वी. बेली राम एयर 1981 एचपी 1; ज्ञान चंद्र

द्विवेदी वी. 2 एन. डी. जे., कानपुर ए. आई. आर. 1987 सभी 40;

पी. सी. 112; भारत संघ बनाम संदूर मैंगनीज और आयरन ओरेस लिमिटेड और ओआरएस। (2013) 8 एससीसी 337 [2013] 2 एससीआर

1045 ; हरियाणा राज्य बनाम। जी. डी. गोयनका पर्यटन निगम निगम लिमिटेड (2018) 3 एससीसी 585 -

संदर्भित किया गया।

जी. पी. सिंह की "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत"

15 संस्करण।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 1 एससीआर 783

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(2018) 1 एस. सी. सी. 733

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[2018] 2 एससीआर 1

पैरा 6

संदर्भित किया गया है

[1970] 3 एससीआर 830

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[2008] 13 एससीआर 421

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2014] 1 एससीआर 308

पैरा 17 (i)

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 (i)

(2007) 15 एस. सी. सी. 513

संदर्भित किया गया है

(2021) 3 एससीसी 1

पैरा 17 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2018] 8 एससीआर 1

पैरा 17 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर 823

पैरा 17

(iii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

(iv)

[2013] 11 एससीआर 25

संदर्भित किया गया।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड।

आई. एस. सी. आर 603

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

पैरा 34 (i)

922 पी. सी 112

संदर्भित किया गया है

पैरा 34 (i)

934 पी. सी. 212

संदर्भित किया गया है

पैरा 34 (ii)

संदर्भित किया गया है

949 एफ. सी. 106

पैरा 34 (iii)

| एससीआर 520

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

2 एससीआर 440

पैरा 38

पैरा 42

2 एससीआर 823

संदर्भित किया गया है

पैरा 43 (सी)

› 5 एस. सी. सी 390

संदर्भित किया गया है

पैरा 43 (ई)

| 3 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पैरा 45 (ए)

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर 87

पैरा 45 (बी)

| 5 एससीआर 174

संदर्भित किया गया है

पैरा 45 (सी)

9 एस. सी. सी. 252

संदर्भित किया गया है

पैरा 45 (डी)

5 एस. सी. सी. 703

संदर्भित किया गया है

पैरा 45 (ई)

4 एससीआर 1076

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (ए)

1 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (बी)

| 3 एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (सी)

3 एससीआर 953

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (डी)

संदर्भित किया गया है

4 एससीआर 327

पैरा 46 (एफ)

| 2 एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (जी)

10 एससीआर 4

संदर्भित किया गया है

4 पूरक। एससीआर 470

पैरा 46 (जी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (जी)

981 एचपी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (जी)

987 सभी 40

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (एच)

922 पीसी 112

संदर्भित किया गया है

पैरा 46 (एच)

2 एससीआर 1045

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

13 एस. सी. सी. 585

पैरा 47

पीछा किया।

3 एससीआर 1

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विविध अनुप्रयोग

2016 की सिविल अपील संख्या 11857 में 2023 की संख्या 414।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2016 के सी. ए. No.11857 में दिनांकित 29.11.2016 निर्णय और आदेश से।

के साथ

2016 की सिविल अपील संख्या 11857 में 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 396,2016 की सिविल अपील संख्या 8909 में 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 397,2016 की सिविल अपील संख्या 8529 में 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 398,

2016 की सिविल अपील संख्या 11857 में 2023 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 399,2016 की सिविल अपील संख्या 8899 में 2023 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 400,2016 की सिविल अपील संख्या 8527 में 2023 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 401,2016 की सिविल अपील संख्या 8547 में 2023 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 402,2016 की सिविल अपील संख्या 8952 में 2023 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 403,2016 की सिविल अपील संख्या 12111 में 2023 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 404,2016 की सिविल अपील संख्या 8935 में 2023 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 405,2016 की सिविल अपील संख्या 8954 में 2023 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 406,2016 की सिविल अपील संख्या 8954 में पुनरीक्षण याचिका

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड।

2016 की सिविल अपील संख्या 11256 में 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 429,2016 की सिविल अपील संख्या 11854 में 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 430,2016 की सिविल अपील संख्या 9597 में 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 431,2016 की सिविल अपील संख्या 11857 में 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 735,2016 की सिविल अपील संख्या 11857 में 2018 का विविध आवेदन संख्या 159, सिविल अपील संख्या 2023 में 2023 की समीक्षा याचिका संख्या 432।

11841 2016 की और 2016 की सिविल अपील संख्या 11846 में 2017 की समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 882। तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., बी. के. सतीजा, दिनेश चंदर यादव, ए. ए. जी., संजय पोद्दार, वी. गिरि, श्याम दीवान, नीरज के. जैन, विवेक चिब, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रवीण स्वरूप, शिवम गोयल, अनिल कुमार गोयल, गोविंद कुमार, प्रतीश गोयल, रामाया एस. गोयल, अजय विक्रम सिंह, सुश्री प्रियंका सिंह, शेखर श्रोटिया, सुश्री कुर्रतुलैन, अनिल के. गोयल, गोविंद कुमार, प्रतिश गोयल, विष्णु बी. सहारिया, विरेश बी. सहारिया, अक्षत अग्रवाल, मेसर्स। सहारिया एंड कंपनी, नितिन मिश्रा, ए. एस. ऋषि, ईश्वर चंद, संजय कुमार विसेन, सुरेश कुमार भान, सुश्री स्मिता द्विवेदी, सुश्री स्वाति यादव, दिनेश कुमार गर्ग, सुश्री बीनू टम्टा, रवि भारुका, अंकित अग्रवाल, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, सुश्री आरती सिंह, आकाशदीप सिंह रोडा, सुश्री पूजा सिंह, बसंत पाल सिंह,

सुश्री निहारिका अहलूवालिया, सुश्री स्नेहा बोटवे, सुश्री मनिका त्रिपाठी पांडे,

अभिषेक गर्ग, ईशान तिवारी, अजीत गायकवाड़, अमित मलिक, सुदीप सिंह, सुश्री नीलम सिंह, देवेश भाटिया, डॉ. एम. के. रवि, अंकुर बंसल, राजीव रहेजा, दीपक वित्त्या, सुश्री आकृति चौबे, अनिरुद्ध बक्रू, आयुष पुरी, सुश्री अंशुला लारोइया, अनुभव रे, टी. एन. सिंह, विकास के. सिंह, शाम चंद, विक्रम सिंह, राजश्री सिंह, उमंग त्रिपाठी, सुश्री स्मिता मान, सुश्री नीना आर नरीमन, सुश्री दीक्षा राय, अंकित अग्रवाल, विवेक शर्मा, सुश्री कोरल शाह, सुश्री उन्नति झुनझुनवाला, सुश्री क्रिस्ट। दिव्यांशु गोयल, सुश्री सृष्टि भल्ला, मयंक कपूर, आलोक गुप्ता, अतुल कुमार, अमिताभ रंजन, सुश्री अर्चना कुमारी, राजीव रंजन, राहुल पांडे, सुश्री स्वीटी सिंह, सुश्री अनु सुला, हिमेश ठाकुर, सुश्री तान्या मित्तल, अभिनव श्रीवास्तव, अरविंद कुमार शर्मा, कानू अग्रवाल, शरत नांबियार, बी. के. सतीजा, अनुज श्रीनिवास उड्डप्पा, नकुल चेंगप्पा, सुश्री आस्था त्यागी, दिनेश चंदर त्रेहन, सुश्री नेहा त्रिपाठी, अश्विनी कुमार, सुश्री कुमुद निझावन, अंशय धतवालिया, रविंदर नैन, पुनीत [2023] 6 एस. सी. आर.

शर्मा, निशित अग्रवाल, सुश्री कनिस्का मित्तल, राजीव के. गर्ग, आशीष गर्ग, टी. एल. गर्ग, सुश्री भावना मूलचंदनी, हितेश के. शर्मा, एस. के. राजोरा, अखिलेश्वर झा, श्रीमती विपिन गुप्ता, राकेश कुमार, अखिल सच्चर, सुश्री सुनंदा तुलस्यान, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय पारित किए गए:

आदेश

एम. आर. शाह, जे.

1. जैसे ही आवेदनों/याचिकाओं के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, इन सभी आवेदनों/याचिकाओं का निर्णय इस सामान्य आदेश द्वारा एक साथ किया जाता है और उनका निपटान किया जाता है।

2. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दायर करने में देरी हुई

संबंधित समीक्षा/वापस बुलाए जाने वाले आवेदनों को इसके द्वारा माफ कर दिया जाता है।

3. सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) की धारा 47 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत ये सभी आवेदन किए गए हैं।

दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसे खारिज करने/निपटाने में संबंधित दीवानी अपीलों में पारित आदेशों की समीक्षा करने और उन्हें वापस लेने और गुण-दोष के आधार पर उन पर विचार करने के लिए उन्हें अपनी मूल फाइलों में बहाल करने को प्राथमिकता दी गई है।

4. श्री संजय पोद्दार, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए

दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि सभी संबंधित दीवानी अपीलों को खारिज/निपटाते हुए और संबंधित उच्च न्यायालयों के फैसलों को आयोजित करते हुए और/या पुष्टि करते हुए यह घोषणा करते हुए कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद '2013 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के मद्देनजर विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण समाप्त हो गया है, पुणे नगर निगम बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई थी। हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी (2014) 3 एस. सी. सी. 183। यह आवेदकों की ओर से मामला है कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय, जिस पर सभी संबंधित अपीलों को खारिज/निपटाते समय भरोसा किया गया था, को विशेष रूप से एक

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। मनोहर लाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129। संबंधित आवेदकों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय को विशेष रूप से निरस्त करके,

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

खारिज किया जाता है, लेकिन अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम (उपरोक्त) का पालन किया गया है, उन्हें भी खारिज कर दिया जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के पैरा 365 पर भारी निर्भरता रखी गई है। 4.1 आवेदकों की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में पहले के निर्णय में। शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। & अन्य, (2018) 3 एस. सी. सी. 412, जबकि यह मानते हुए कि पुणे नगर निगम के मामले में निर्णय

निगम (उपर्युक्त) और इसमें लिए गए दृष्टिकोण के बाद अन्य निर्णय

यह देखा गया है कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के आधार पर निर्णय लिए गए हैं। (उपर्युक्त) उक्त निर्णय के आधार पर उचित मामलों में समीक्षा के लिए तैयार हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में आरक्षित स्वतंत्रता के अनुसार, वर्तमान आवेदनों/याचिकाओं को प्राथमिकता दी गई है।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि समीक्षा करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 से प्रवाहित होती है। यह तर्क दिया जाता है कि एक बार कानून ने

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया था। मनोहर लाल और अन्य (ऊपर) और विशेष रूप से पुणे नगर निगम (ऊपर) के मामले में निर्णय को उलटते हुए, जो संबंधित अपीलों को निपटाने/खारिज करने का आधार था, कानून के प्रश्न पर न्यायिक निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

4.3 संबंधित की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

आवेदकों ने यह भी प्रस्तुत किया है कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बाद में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सिविल अपील संख्या 16.07.2020 में पारित आदेश द्वारा वापस ले लिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के उस दृष्टिकोण से, पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के आधार पर संबंधित दीवानी अपीलों में खारिज/निपटान करने वाले आदेशों की भी समीक्षा/वापस लेने की आवश्यकता है।

4.4 संबंधित आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय द्वारा पारित कुछ बाद के आदेशों पर भी भरोसा किया है, जिसमें दीवानी अपीलों को खारिज करने/निपटाने के समान आदेशों को याद किया गया है, जिसमें पुणे नगर निगम के मामले में निर्णय लिया गया है।

निगम (उपरोक्त) पर भरोसा किया गया था और संबंधित कार्यवाहियों को उनकी मूल फाइल में बहाल करने का आदेश दिया गया है जिसमें [2023] 6 एस. सी. आर. का प्रभाव है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के मामले में संविधान पीठ द्वारा दिया गया बाद का निर्णय

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) पुणे नगर निगम (ऊपर) विचाराधीन है। विविध आवेदन डायरी संख्या 21678/2020 में इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.02.2022 द्वारा पारित आदेश पर भरोसा रखा गया है।

4.5 आवेदकों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पोद्दार ने मथुरा प्रसाद बाजु जैसवाल और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। दोसीबाई एन. बी.

जीजीभॉय, (1970) 1 एस. सी. सी. 613 ने अपनी दलीलों के समर्थन में कहा कि इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कानून के प्रश्न पर निर्णय जहां पहले के निर्णय के बाद से कानून में बदलाव किया गया है, पहले का निर्णय न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य नहीं करेगा।

4.6 सहायक आयुक्त, आयकर, राजकोट बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक

एक्सचेंज लिमिटेड, (2008) 14 एस. सी. सी. 171, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक न्यायिक निर्णय पूर्वव्यापी रूप से कार्य करता है। यह है। प्रस्तुत किया कि यह आगे देखा गया है कि यदि बाद का निर्णय बदल जाता है

पहले वाला, बाद वाला निर्णय नया कानून नहीं बनाता है। यह केवल कानून के सही सिद्धांत की खोज करता है जिसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आगे देखा गया है कि इसे अलग तरीके से रखने के लिए, यहां तक कि जहां अदालत का पहले का निर्णय काफी समय तक चला, बाद में दिए गए निर्णय का कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करने वाला पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।

स्थिति जो पहले सही ढंग से नहीं समझी गई थी।

4.7 इसके लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है

संबंधित आवेदक कि वर्तमान मामले में, कई मामलों में, विचाराधीन भूमि का कब्जा डी. डी. ए. को सौंप दिया गया है /

लुप्त हो गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में संविधान पीठ के बाद के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कानून को स्पष्ट करते हुए और विशेष रूप से पुणे नगर निगम (ऊपर) के मामले में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए, 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण में कोई चूक नहीं होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि विवादित आदेश पारित किए जाते हैं

संबंधित दीवानी अपीलों की समीक्षा नहीं की जाती है/वापस नहीं ली जाती है, उस मामले में, आवेदकों/सार्वजनिक अधिकारियों को नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें विचाराधीन भूमि का कब्जा मूल भूमि मालिकों को वापस सौंपना होगा।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

और इस प्रकार विचाराधीन भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि जैसा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है। नेताजी क्रिकेट क्लब (2005) 4 एस. सी. सी. 741, न्यायालय की ओर से एक गलती के कारण भी आदेश की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया जाता है कि आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में "पर्याप्त कारण" शब्द इतने व्यापक हैं कि अदालत या यहां तक कि एक अधिवक्ता द्वारा तथ्य या कानून की गलत धारणा को शामिल किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट सिद्धांत को लागू करने के लिए समीक्षा के लिए एक आवेदन की आवश्यकता हो सकती है।

4.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान आवेदनों को अनुमति दी जाए और संबंधित दीवानी अपीलों में खारिज/पारित किए गए पहले के आदेशों की समीक्षा/स्मरण किया जाए।

उसी का निपटारा करते हुए, पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए, जिसे बाद में इंदौर के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण (ऊपर) और उसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में संविधान पीठ द्वारा दिए गए बाद के निर्णय के आलोक में इसका निर्णय और निपटान करना। यह है।

प्रस्तुत किया कि यदि मामलों को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुना जाता है और संबंधित उत्तरदाताओं/भूमि मालिकों को सभी बिंदुओं पर गुण-दोष के आधार पर सुना जाएगा तो संबंधित उत्तरदाताओं पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला जाएगा।

5. श्री श्याम दीवान, श्री वी. गिरि, श्री नीरज कुमार जैन, श्री विवेक चिब, विद्वान वरिष्ठ ने इन सभी समीक्षा आवेदनों का विरोध किया है।

संबंधित प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता और अन्य वकील।

5.1 संबंधित प्रत्यर्थियों की ओर से यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदकों ने स्वीकार किया है कि बाद के निर्णय के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा के लिए तत्काल समीक्षा आवेदन दायर किए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून में परिवर्तन को देखते हुए न्यायालय का बाद का निर्णय समीक्षा का आधार नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में संविधान पीठ का निर्णय। मनोहर लाल (ऊपर) ने

पुणे नगर निगम के मामले में निर्णय को खारिज कर दिया गया

(ऊपर), पक्षकारों के बीच तय स्थिति प्रभावित नहीं हो सकती है।

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में निर्णय को इस प्रकार माना जा सकता है -

इसके संचालन में संभावित और उन दावों/मामलों को फिर से नहीं खोल सकते हैं जो पहले ही अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं।

23] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून उस समय लागू था जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में फैसला सुनाया था (सिविल)

अपील सं. 8529/2016) वह थी जो पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित की गई थी।

5.4 यह तर्क दिया जाता है कि उस तारीख से पहले भी जिस पर इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम में संविधान पीठ का निर्णय आया था। मनोहर

लाल (ऊपर) वितरित किया गया था, मामला अंतिम हो गया था और विषय भूमि पर संबंधित उत्तरदाताओं के अधिकारों को स्पष्ट किया गया था।

5.5 यह आग्रह किया जाता है कि जहाँ तक अनुच्छेद 365 पर निर्भरता रखी गई है

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में निर्णय। मनोहर लाल (ऊपर) का संबंध है, संविधान पीठ केवल पुणे नगर निगम (ऊपर) और श्री बालाजी नगर आवासीय संघ के मामले में निर्धारित कानून की शुद्धता से संबंधित थी। वी. राज्य

तमिलनाडु (2015) 3 एस. सी. सी. 353। कि संविधान पीठ पुणे नगर निगम (उपरोक्त) या श्री बालाजी नगर आवासीय संघ के संबंध में अपीलों पर विचार नहीं कर रही थी। (उपर्युक्त), या उस मामले के लिए उपरोक्त मामलों में निर्णय की समीक्षा या उस मामले के लिए कोई अन्य मामला। इसलिए, संविधान पीठ पुणे नगर निगम (उपरोक्त) या श्री बालाजी नगर आवासीय संघ में इस न्यायालय द्वारा निर्णय की अभिव्यक्ति के रूप में निर्णयों को उलटने या उनकी समीक्षा करने का इरादा नहीं रख सकती थी। (उपर्युक्त) या सक्षम न्यायालय का कोई अन्य निर्णय जिसने उपरोक्त निर्णयों का पालन किया हो। कि निर्णय के अधिमूल्यांकन का प्रभाव केवल इस प्रकार खारिज किए गए निर्णयों के पूर्ववर्ती मूल्य को संबोधित करने के लिए हो सकता है, लेकिन उस संबंध में पारित की गई डिक्री को शून्य नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी निर्णय को रद्द करने से, खारिज किए गए निर्णय का अपना पूर्ववर्ती मूल्य समाप्त हो जाएगा और इससे अधिक कुछ नहीं। रिलायंस को बी. एस. एन. एल. बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। भारत संघ (2006) 3 एससीसी 1. कि उक्त निर्णय में, यह देखा गया है कि अतिनिर्णय से पक्षकारों के बीच निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति प्रभावित नहीं होगी।

5.5. 1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने भी इस पर भरोसा किया है

नीलिमा श्रीवास्तव बनाम के मामले में इस न्यायालय का हालिया निर्णय। उत्तर प्रदेश राज्य (2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 610) उनके इस निवेदन के समर्थन में कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल बाद के निर्णय द्वारा सिद्धांतों का अतिनिर्णय निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव को कम नहीं करेगा।

अंतर-पक्षीय। यह आग्रह किया जाता है कि इसलिए संविधान पीठ का पैरा 365

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम. मनोहर लाल (ऊपर) समीक्षा याचिकाकर्ताओं की सहायता नहीं करते हैं।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

5.6 यह आगे संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी कोई शर्त नहीं है उच्चतम न्यायालय के आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. और आदेश 47 के तहत गणना संतुष्ट हैं। कि पुनर्विचार याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश 47 के तहत संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर की जाती हैं। उस अनुच्छेद 137 में कहा गया है कि "संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन", इस न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश 47 में कहा गया है कि "आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में उल्लिखित आधार को छोड़कर दीवानी कार्यवाही में समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उस आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में कहा गया है कि एक समीक्षा याचिका हो सकती है

निम्नलिखित आधारों पर वरीयता दी जाती है,

(क) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज जो,

उचित परिश्रम करने के बाद, याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका, या

(ख) किया गया आदेश, या किसी गलती या स्पष्ट त्रुटि के कारण

अभिलेख के सामने, या

((ग) किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि कमलेश वर्मा बनाम के मामले में। मायवती (2013) 8 एस. सी. सी. 320, इस न्यायालय ने समीक्षा अधिकार क्षेत्र पर कानून को दोहराया है और यह देखा और अभिनिर्धारित किया है कि जब तक उपरोक्त आधार नहीं बनाए जाते हैं, तब तक समीक्षा याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

5.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी एक

पहले का निर्णय समीक्षा का आधार नहीं हो सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामलों में उठाया गया एकमात्र आधार यह है कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के पहले के निर्णय में असंगत माना गया है। शैलेंद्र

(मृत) एलआरएस के माध्यम से। (ऊपर) और समीक्षा याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम में निर्णय के अनुसार।

शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। (ऊपर), पुणे नगर निगम (ऊपर) के आधार पर दिए गए निर्णय के लिए खुले थे

उक्त निर्णय के आधार पर उचित मामलों में समीक्षा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता के आदेश 47 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यह तथ्य कि कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय, जिस पर न्यायालय का निर्णय

आधारित है, किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट या संशोधित किया गया है, ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि [2023] 6 एस. सी. आर. में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ।

बेघर फाउंडेशन का मामला बनाम। के. एस. पुट्टास्वामी (2021) 3 एस. सी. सी. 1 ने देखा है कि कानून में परिवर्तन या उसके बाद के निर्णय/निर्णय

5.8 संबंधित प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि कुछ मामलों में, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद इसी तरह की समीक्षा याचिकाएं हैं। मनोहर लाल (ऊपर) को बर्खास्त कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय दिया गया है

बाद में वापस बुलाए गए आदेश वर्तमान मामलों में पारित आदेशों की समीक्षा और/या वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकते हैं और वह भी इतनी लंबी देरी के बाद। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वापस बुलाने का आदेश किसी भी तरह से आवेदकों को वर्तमान मामलों में फैसले की समीक्षा करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं देता है।

5.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, समीक्षा आवेदनों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

6. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन सभी मामलों में, संबंधित दीवानी अपीलों को खारिज/निपटाया गया है, पुष्टि करते हुए पुणे नगर निगम (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश।

हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र, (2018) 1 एस. सी. सी. 733, पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय की शुद्धता पर संदेह था। यह मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया था। बहुमत के निर्णय से, पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय को इनक्यूरियम के अनुसार माना गया। श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन में ऐसा करते हुए और निर्णय को पलटते हुए। (उपर्युक्त) और उक्त निर्णय के बाद अन्य निर्णय इस हद तक कि वे तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत थे, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि निर्णय। पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के आधार पर दिए गए निर्णय की उचित मामलों में समीक्षा की जा सकती है।

इस प्रकार, आवेदकों ने इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में पैरा 217 में आरक्षित टिप्पणियों और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समीक्षा आवेदनों को प्राथमिकता दी है। शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। (ऊपर)। मामला यहीं नहीं रुका है। इसके बाद, इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ को एक निर्देश दिया गया। इस सरकार की एक संविधान पीठ।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में न्यायालय। इसके बाद मनोहर लाल (ऊपर) ने पुणे नगर निगम (ऊपर) के मामले में विशेष रूप से निर्णय को खारिज कर दिया है। पैरा 365 में, इसे निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया गया हैः

" 365. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में दिया गया निर्णय कॉर्प. [पुणे नगर निगम। वी. हरकचंद मिसिरीमल

सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183 को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम शामिल है। [पुणे नगरपालिका

कॉर्प. वी. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183 का अनुसरण किया गया है, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया है। श्री बालाजी में निर्णय

नगर आवासीय एसोसिएशन। [श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन।

वी. टी. एन. राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353 को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र [इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शैलेंद्र,

(2018) 3 एस. सी. सी. 412, धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और क्या "या" को "न" के रूप में पढ़ा जाना है या "और" के रूप में विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, वह निर्णय भी नहीं ले सकता। वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में प्रबल "।

इस प्रकार, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने उपरोक्त निर्णय में न केवल यह कहा है कि पुणे नगर निगम में दिया गया निर्णय

निगम (ऊपर) को खारिज कर दिया गया है लेकिन विशेष रूप से यह भी देखा गया है कि अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम (ऊपर) ने लिया है।

पालन किया जाता है, रद्द भी किया जाता है। मुझे उक्त टिप्पणियों को कुछ अर्थ देना होगा। इस प्रकार, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई उपरोक्त विशिष्ट टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित प्रत्यर्थियों की ओर से उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से जिन प्रस्तुतियों/निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनमें से कोई भी उत्तरदाताओं के लिए किसी भी तरह की सहायता नहीं होगी, हालांकि आश्रितों में निर्धारित कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है।

समीक्षा अधिकारिता पर निर्णयों/निर्णयों पर, विशेष रूप से, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय में पैरा 217 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। (उपर्युक्त) और इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में संविधान पीठ के बाद के निर्णय में पैरा 365 में की गई टिप्पणियां। मनोहर लाल (ऊपर), पुनरुत्पादित

यहाँ ऊपर।

7. यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि तथ्यों और परिस्थितियों के समान समूह में, इस न्यायालय ने देरी को माफ कर दिया था और इसी तरह के आदेश की समीक्षा/स्मरण किया था जिसमें पुणे नगर निगम के मामले में निर्णय लिया गया था।

निगम (ऊपर) पर भरोसा किया गया था। यह सच हो सकता है कि कुछ मामलों में समीक्षा आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। तथापि, समीक्षा आवेदनों को अस्वीकार करने में पारित आदेशों पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय का ध्यान इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम में संविधान पीठ के निर्णय के पैरा 365 और 366 पर है। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में पहले के निर्णय के मनोहर लाल (ऊपर) और पैरा 217। शैलेंद्र (मृत) एलआरएस के माध्यम से। (उपर्युक्त) को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

8. अब जहां तक संबंधित प्रत्यर्थियों की ओर से यह निवेदन है कि मामला आदेश 47 सी. पी. सी. के तहत नहीं आता है और बाद का अतिनिर्णय पहले के आदेशों की समीक्षा करने का आधार नहीं हो सकता है, शुरुआत में, यह ध्यान देने योग्य है कि यहां एक अजीब मामला है जहां पुणे नगर निगम के मामले में पहले का निर्णय लिया गया था। निगम (उपरोक्त), जिस पर पहले निर्भरता रखी गई थी, इंदौर के मामले में बाद के निर्णय में स्वयं संदेह था।

संविधान पीठ और उसके बाद संविधान पीठ ने उपरोक्त कानून घोषित किया है, विशेष रूप से इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैरा 365 और 366। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिकांश मामलों में पूरी तरह से पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए और हालांकि विचाराधीन भूमि का कब्जा ले लिया गया है और कई मामलों में इसका उपयोग/उपयोग लाभार्थी अधिकारियों द्वारा किया गया हो सकता है, अधिग्रहण की मानित चूक घोषित करने वाले आदेश पारित किए जाते हैं। परिणामी प्रभाव उस भूमि/भूमि के कब्जे को वापस करना होगा जिसका उपयोग लाभार्थी अधिकारियों द्वारा किया गया होगा। इसलिए व्यापक जनहित में भी, समीक्षा आवेदनों को अनुमति देने की आवश्यकता है और संबंधित अपीलों पर विचार करने और नए सिरे से निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ये ऐसे मामले हैं जहां समीक्षा आवेदनों की अनुमति दी जानी चाहिए और उपयुक्त सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने मामले को नए सिरे से सामने रखने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो व्यापक सार्वजनिक हित में होगा।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी समीक्षा/वापस बुलाने के आवेदनों की अनुमति है। में पारित आदेश

संबंधित सिविल अपीलों और संबंधित सिविल जी. ओ. वी. टी. को याद किया जाता है।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

अपीलों को उनकी मूल फाइल में बहाल करने का आदेश दिया जाता है। उक्त दीवानी अपीलों पर कानून और उनके अनुसार विचार किया जाए।

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम के मामले में अपने गुण-दोष और निर्णय के आलोक में। मनोहर लाल (ऊपर)। संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध सभी बचाव और/या दलीलों को खुला रखा जाता है, जिसमें कब्जा भी शामिल है और न तो मैंने गुण-दोष पर प्रश्न किए हैं और न ही किसी भी पक्ष के पक्ष में गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किया है।

10. समीक्षा आवेदनों में पारित आदेश को देखते हुए, सिविल अपील संख्या 11857/2016 में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 735/2018 में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका निपटारा किया जाता है।

न्याय

नागरत्ना, जे.

मुझे इन पुनरीक्षण याचिकाओं में न्यायाधीश एम. आर. शाह द्वारा प्रस्तावित निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है। फिर भी मैं

तर्क के साथ-साथ उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ।

2. इन मामलों के समूह में, मुद्दा मेरे विचार में इन समीक्षा याचिकाओं की बहुत स्थिरता के इर्द-गिर्द घूमता है, दोनों के आधार पर

भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 (संक्षेप में, "एस. सी. नियम-2013") और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में सी. पी. सी.) के आदेश XLVII नियम 1 में देरी और विचार पर। उपरोक्त प्रावधान हैं - तत्काल संदर्भ के लिए क्रमशः नीचे दिए गए अनुसार निकाला गयाः

" भारत के संविधान का अनुच्छेद 137:

' 137. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। -संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को घोषित या घोषित किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

उसके द्वारा किया गया आदेश '।

******

उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का आदेश XLVII नियम 1:

' आदेश XLVII नियम 1-न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन आदेश [2023] 6 एस. सी. आर. में उल्लिखित आधार को छोड़कर सिविल कार्यवाही में समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता के एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1, और एक आपराधिक कार्यवाही में, सिवाय इसके कि

अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के आधार पर।

समीक्षा के लिए आवेदन के साथ एक

अभिलेख पर अधिवक्ता का प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि

समीक्षा के लिए पहला आवेदन और आधारों पर आधारित है नियमों के तहत स्वीकार्य '।

*** ****

' आदेश XLVII नियम 1 CPC 1. निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन।

(1) कोई भी व्यक्ति जो खुद को दुखी समझता है -

(क) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे एक अपील की अनुमति है, लेकिन

जिसमें से कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है, या

(ग) लघु कारणों के न्यायालय से एक संदर्भ पर निर्णय द्वारा,

और जो नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज से, जो उचित परिश्रम के प्रयोग के बाद उसकी जानकारी में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या किसी गलती या त्रुटि के कारण जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, पारित डिक्री या उसके खिलाफ किए गए आदेश की समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उस न्यायालय में निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया।

2) एक पक्ष जो किसी डिक्री या आदेश से अपील नहीं कर रहा है, वह किसी अन्य पक्ष द्वारा अपील के लंबित होने के बावजूद निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी के लिए समान है, या जब, प्रतिवादी होने के नाते, वह अपील न्यायालय में वह मामला पेश कर सकता है जिस पर वह समीक्षा के लिए आवेदन करता है। स्पष्टीकरण-तथ्य यह है कि कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय, जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट या संशोधित किया गया है।

उच्च न्यायालय किसी अन्य मामले में, ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा।

(मुझ पर जोर दें)

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

3. इन पुनरीक्षण याचिकाओं पर उक्त प्रावधानों को लागू करने से पहले, इन मामलों की एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि देना आवश्यक है। 4. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, "एल. ए. अधिनियम, 1894") एक स्वतंत्रता पूर्व कानून था जो भूमि अधिग्रहण पर लागू होता था।

प्रतिष्ठित क्षेत्र का सिद्धांत। इसे निरस्त कर दिया गया और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (सुविधा के लिए 'एल. ए. अधिनियम, 2013') द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। एल. ए. अधिनियम, 2013 01.01.2014 से लागू हुआ। एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के विशेष संदर्भ के साथ धारा 24 इन समीक्षा याचिकाओं के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

" 24. 1894 के अधिनियम संख्या 1 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

कुछ मामलों में व्यपगत माना जाएगा। - (1)

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी मामले में,

मुआवजे का निर्धारण लागू होगा; या
(ख) जहां उक्त धारा 11 के तहत कोई अधिनिर्णय दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाही निम्नलिखित प्रावधानों के तहत जारी रहेगीः

कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जैसे कि उक्त अधिनियम नहीं किया गया है

निरस्त कर दिया।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में, जहां उक्त धारा 11 के तहत एक अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले किया गया है, लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, तो उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और उपयुक्त सरकार, यदि वह ऐसा चाहती है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करेगीः

बशर्ते कि जहां कोई पुरस्कार और मुआवजा दिया गया हो

अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तो, उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी, [2023] 6 एस. सी. आर. के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ।

5. उप-एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 की धारा 2 पुणे नगर निगम के मामले में विचार और व्याख्या का विषय था।

निगम बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी (2014) 3 एस. सी. सी. 183 (पुणे नगर निगम) और इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल (2020) 8 एस. सी. सी. 129 (इंदौर विकास प्राधिकरण)।

6. पुणे नगर निगम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

निगम ने एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 की व्याख्या की। इनमें से एक मामले में, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र (2018)

1 एस. सी. सी. 733, मामले को दिनांक 07.12.2017 के आदेश के माध्यम से तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम.

शैलेंद्र (2018) 3 एस. सी. सी. 412, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि पुणे नगर निगम के फैसले में एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 की व्याख्या से संबंधित कई पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है। पुणे नगर निगम ने एक निर्णय दिया था

तीन न्यायाधीशों की समन्वय शक्ति की पीठ। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र में तीन विद्वान न्यायाधीशों में से दो ने प्रथम दृष्टया राय दी कि पुणे नगर निगम में निर्णय ऐसा प्रतीत होता है

इनक्यूरियम के अनुसार जबकि जे. शांतनगौदर एक बिंदु पर असहमत थे। नतीजतन, पीठ ने आदेश दिया कि मामलों को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है। बाद में, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम श्याम वर्मा (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3324 में, इस न्यायालय ने एक बड़ी पीठ द्वारा हल किए जाने वाले मुद्दों को भेजने के लिए मामले को फिर से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना उचित समझा। अन्य मामले भी थे। उसी विवाद को भी ध्यान में रखते हुए जिसे एक बड़ी पीठ को भेजा गया था और अंततः, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल मामले में, पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन इंदौर के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था।

भारत, जिसने पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

" 4.1 . (1) उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 में "भुगतान"/"निविदा" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ("1894 अधिनियम") की धारा 31 में? क्या 1894 के अधिनियम की धारा 31 (2) के तहत अदालत में क्षतिपूर्ति जमा न करने के परिणामस्वरूप 2013 के अधिनियम की धारा

24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो जाता है। अदालत में जमा न करने के क्या परिणाम होते हैं, विशेष रूप से जब टी. ओ. एफ. एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर.

सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

धारा 31 (1) के तहत मुआवजे की पेशकश की गई है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

1894 के अधिनियम और 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2)? क्या

इनकार करने के बाद ऐसे व्यक्ति अपनी गलती का फायदा उठा सकते हैं।

आचरण?

4.1 . (2) क्या "या" शब्द को संयोजी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए या

2013 अधिनियम की धारा 24 (2) में असंवेदनशील?

4.1 . (3) परंतुक का वास्तविक प्रभाव क्या है, क्या यह इसका हिस्सा है

2013 के अधिनियम की उप-धारा (2) या मुख्य धारा 24?

4.1 . (4) भूमि पर कब्जा करने का तरीका क्या है? अधिग्रहण अधिनियम और अभिव्यक्ति का सही अर्थ 'भौतिक

धारा में होने वाली भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है

24 (2) 2013 के अधिनियम का? 4.1 . (5) क्या अवधि एक के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई है

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से संबंधित अदालत को बाहर रखा जाना चाहिए

2013 अधिनियम की धारा 24 (2) को लागू करने के उद्देश्य से? 4.1 . (6) क्या 2013 के अधिनियम की धारा 24 वर्जित को पुनर्जीवित करती है और

पुराने दावे?

5. इसके अलावा, प्रति इनक्यूरियम और अन्य आनुषंगिक का प्रश्न जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना है "।

7. एल. ए. अधिनियम, 2013 ने एल. ए. अधिनियम, 1894 की धारा को निरस्त कर दिया है।

एल. ए. अधिनियम, 2013 एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है और सभी को ओवरराइड करता है।

एल. ए. अधिनियम, 2013 के प्रावधान। एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 में है -

बचत खंड का प्रावधान।

8. पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुतियाँ की गईं कि यह

टी को पुणे नगर निगम में निर्णय को रद्द करना चाहिए और

ऐसे निर्णय जिन्होंने उक्त उक्ति का पालन किया हो। विश्लेषण के बाद

एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) (ए) और धारा 24 (1) (बी) पर पैराग्राफ में

इंदौर विकास प्राधिकरण के अनुसार, यह निम्नानुसार देखा गया हैः

निम्नलिखित प्रश्न पूछें - 366.1 . धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। क्षतिपूर्ति

2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाना है।

366.2 . यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है। 366.3 . कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। द.

धारा के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की चूक मानी जाती है

24 (2) 2013 अधिनियम की धारा उस स्थिति में लागू होती है जब उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। दूसरे शब्दों में, मामले में

कब्जा ले लिया गया है, मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है। इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

366.4 . 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है। जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है यदि इसे अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में जमा नहीं किया गया है तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक इसके हकदार होंगेः

2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि का पतन नहीं होता है।

अधिग्रहण की कार्यवाही। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न होने की स्थिति में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

366.5 . यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या अदालत में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है। भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने दिल्ली टीएचआर के एन. सी. टी. को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

सचिव, भूमि और निर्माण टी. वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

क्षतिपूर्ति या जिसने अधिक के लिए संदर्भ मांगा क्षतिपूर्ति, यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही

2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत हुआ था।

366.6 . 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में। 366.7 . 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के तहत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है। एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

कब्जा लेने और भुगतान करने में उनकी निष्क्रियता के कारण विफल रहे 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक के लिए मुआवजा, संबंधित प्राधिकरण के पास लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में। जीवन निर्वाह की अवधि

न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को बाहर रखा जाना चाहिए

पाँच वर्ष की गणना। 366.9 . 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है। धारा 24 लंबित कार्यवाही पर लागू होती है।

2013 के अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर अर्थात 1-1-2014। यह पुराने और समय-वर्जित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और नहीं करता है

न ही भूमि मालिकों को कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति दें।

या राजकोष में क्षतिपूर्ति जमा करने का तरीका

अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए अदालत "।

हालाँकि, पैरा 365 में ऐसा करते समय, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

65. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में दिया गया निर्णय

ओआरपीएन। एतद्द्वारा खारिज किया जाता है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे ट्युनिसिपाल कॉर्प। पालन किया गया है, खारिज भी किया गया है। द.

श्री बालाजी नगर आवासीय परिसंघ में ई. सी. कहा नहीं जा सकता

अच्छा कानून बनाया जाए, खारिज किया जाए और अन्य निर्णय लिए जाएं

उसी को हटाने को भी खारिज कर दिया जाता है। इंदौर विकास में

प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र, परंतुक [2023] 6 एस. सी. आर. के संबंध में पहलू।

धारा 24 (2) और क्या "या" को "नौर" या "और" के रूप में पढ़ा जाना है, विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, वर्तमान में चर्चा के आलोक में, वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

फैसला "।

10. इंदौर में पारित उपरोक्त फैसले के बाद

पाँच-न्यायाधीश पीठ द्वारा विकास प्राधिकरण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुणे नगर निगम और पुणे नगर निगम के बाद के अन्य सभी निर्णयों को अब खारिज कर दिया गया है, समीक्षा याचिकाकर्ताओं, जो या तो अधिग्रहण निकाय/राज्य हैं या लाभार्थी हैं, ने इन समीक्षा याचिकाओं को प्राथमिकता दी है।

11. इन पुनरीक्षण याचिकाओं को दायर करने का उद्देश्य और उद्देश्य पुनरीक्षण याचिकाओं में आक्षेपित निर्णय की पुनरीक्षण करना है और

इंदौर में इस न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, पुणे नगर निगम के संदर्भ में निपटाई गई विशेष अनुमति याचिकाओं या दीवानी अपीलों, जैसा भी मामला हो, की पुनः सुनवाई। विकास प्राधिकरण।

12. श्री संजय पोद्दार, विद्वान वरिष्ठ वकील और समीक्षा याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अन्य विद्वान वकील के अनुसार,

इंदौर विकास प्राधिकरण के पैरा 365 की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि न केवल पुणे नगर निगम के फैसले को खारिज कर दिया गया है, बल्कि उक्त फैसले के बाद के अन्य सभी फैसलों को भी खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, पुणे नगर निगम के आदेश के बाद इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समीक्षा के अधीन हैं और इसलिए ये समीक्षा याचिकाएं दायर की गई हैं।

13. पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं की मुख्य याचिका यह है कि

पुनरीक्षण याचिकाओं में आक्षेपित निर्णयों/आदेशों और सिविल अपीलों या विशेष अनुमति याचिकाओं को, जैसा भी मामला हो, इस न्यायालय की फाइल पर बहाल करने और इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में इस न्यायालय की बड़ी पीठ के नवीनतम कथन के संदर्भ में उनकी पुनः सुनवाई करने और उनका निपटारा करने के लिए।

14. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील ने मथुरा प्रसाद सरजू जयसवाल और अन्य बनाम दोसीबाई पर भरोसा किया।

एनबी. जीजीभॉय ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 2355; और सहायक आयुक्त, आयकर, राजकोट बनाम सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (2008) 14 एस. सी. सी. 171; उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में कि जब कानून के किसी प्रश्न को बाद के निर्णय द्वारा बदला जाता है, तो पहले का निर्णय न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य नहीं करता है। इसके अलावा, बाद में दिया गया निर्णय जीओवीटी होगा।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

15. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील श्रीयुथ वी. गिरि, श्याम दीवान, नीरज कुमार जैन, विवेक चिब और अन्य विद्वान वकीलों ने समीक्षा याचिकाओं की स्थिरता पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह तर्क देते हुए है कि आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के तहत प्रदान की गई समीक्षा के दायरे और विशेष रूप से, इसके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, ये समीक्षा याचिकाएं बिल्कुल भी विचारणीय नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, यह उनका तर्क है कि इंदौर विकास प्राधिकरण के अनुच्छेद 365 में जो कहा गया है, उसके बावजूद, आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण में निहित बाधा को देखते हुए, समीक्षा याचिकाएं नहीं हैं। विचारणीय और पुनरीक्षण याचिकाओं को सीमित रूप से खारिज किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जाता है कि पैराग्राफ 365 में जो राय दी गई है, उसका उद्देश्य पुणे नगर निगम में पारित फैसले को अस्वीकार करना है

निगम और पुणे नगर निगम के बाद उनके पूर्ववर्ती अधिकार और प्रभाव के अन्य सभी निर्णय या आदेश। इसका तात्पर्य यह है कि उक्त निर्णय को इंदौर में बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित किए जा रहे बाद के कानून को देखते हुए भविष्य में एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

पुणे नगर निगम में फैसले को पलटकर विकास प्राधिकरण। हालाँकि, निर्णय स्वयं समाप्त नहीं होता है और वे उक्त मामलों के पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं, हालाँकि उन्हें अब एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण पर यह तर्क देने के लिए भारी निर्भरता रखी गई है कि जब कानून के किसी प्रश्न पर कोई निर्णय जिस पर उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा न्यायालय के निर्णय को उलट दिया गया है या संशोधित किया गया है, तो यह ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा। इस प्रकार, प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क यह है कि पुणे नगर निगम में निर्णय और उपरोक्त निर्णय के बाद अन्य सभी निर्णय, खारिज किए जाने के बाद, भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल नहीं होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि इंदौर विकास प्राधिकरण में इस न्यायालय की बड़ी पीठ ने एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) को एक अलग व्याख्या देकर नया कानून निर्धारित किया है, यह पुणे नगर निगम में पारित निर्णय और पुणे नगर निगम के बाद के अन्य सभी निर्णयों की समीक्षा को जन्म नहीं दे सकता है।

16. उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि समीक्षा याचिकाएं दायर करने में देरी हो रही है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. एक की ओर से वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान पेश हुए

प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा कियाः

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य और

((i)

ओआरएस। (2014) 5 एस. सी. सी. 75, उसके पैरा 52 के विशेष संदर्भ के साथ यह तर्क देने के लिए कि आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, एक गलत निर्णय भी न्यायालय के लिए समीक्षा करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि एक समीक्षा याचिका पर विचार करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि जिस आदेश की समीक्षा मांगी गई है, वह आदेश के सामने एक स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है और

ऐसी किसी त्रुटि की अनुपस्थिति, निर्णय/आदेश से जुड़ी अंतिमता को बाधित नहीं किया जा सकता है। राजेंद्र कुमार बनाम रामभाई (2007) 15 एस. सी. सी. 513 भी इसी सिद्धांत की ओर इशारा करता है।

((ख)

इसके अलावा, बेघर फाउंडेशन में इसके सचिव बनाम. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य। (2021) 3 एस. सी. सी. 1, न्यायमूर्ति के. एस. में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाओं पर विचार करते हुए।

पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ (2019) 1 एस. सी. सी. 1

(आधार-5 जे.), यह देखा गया कि उक्त निर्णय की समीक्षा का कोई मामला नहीं था। यह भी कहा गया कि, "कानून में परिवर्तन या बाद के निर्णयों/बड़ी पीठ के फैसले पर स्वयं विचार नहीं किया जा सकता है।

राहत के लिए जमीन के रूप में "। पुनरीक्षण याचिकाएँ थीं, तदनुसार, पीठ के अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा खारिज कर दिया गया (4:1), जबकि डॉ. D.Y.Chandrachud, जे. ने उक्त मामले में अपनी असहमति व्यक्त की।

(iii)

रिलायंस को भारत संचार निगम लिमिटेड में भी रखा गया था।

और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 3 एस. सी. सी. 1 और कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 320 उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में।

18. जवाब के माध्यम से, विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील

ई समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने "किसी के लिए" अभिव्यक्ति के तहत शरण मांगी

आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में पर्याप्त कारण यह तर्क देने के लिए कि

बदली हुई परिस्थितियों के बारे में, जैसे कि पुणे में उक्ति

आई. सी. आई. पी. एल. निगम को इस न्यायालय की बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया है।

पुणे नगर निगम में फैसले के बाद अन्य निर्णय

भाषण को भी खारिज कर दिया गया है, रद्द किए गए जीओवीटी के आधार पर पारित पिछले सभी निर्णयों की समीक्षा करने के लिए अच्छा आधार है।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

पुणे नगर निगम में निर्णय। इसलिए, ये पुनर्विचार याचिकाएं विचारणीय हैं और इन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में, समीक्षा याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने द बंगाल इम्युनिटी पर भरोसा जताया

कंपनी लिमिटेड बनाम. बिहार राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 661

19. किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूं कि पक्षों के बीच विवाद की जड़ आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे और उद्देश्य और विशेष रूप से, उसके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इन समीक्षा याचिकाओं की स्थिरता के संबंध में है। दूसरे शब्दों में, विचार करने की बात यह है कि क्या पुणे नगर निगम में पारित निर्णय और इसके बाद के अन्य सभी निर्णय

उक्त उक्ति, जिसे खारिज कर दिया गया है, की समीक्षा इन समीक्षा याचिकाओं पर विचार करके की जा सकती है और उक्त आदेशों को वापस लिया जा सकता है और उक्त मामलों की फिर से सुनवाई की जा सकती है और इंदौर विकास प्राधिकरण के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है। 20. शुरुआत में, यह देखा गया है कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें सवाल शामिल है, क्या, पुणे नगर निगम में निर्णय है।

निगम समीक्षा या पुनर्विचार की मांग करता है। इस न्यायालय द्वारा इंदौर की बड़ी पीठ द्वारा पहले ही इस पर पुनर्विचार किया जा चुका है।

दलों को। दूसरे शब्दों में, क्या, बाद के निर्णय के आधार पर, कानून के शुद्ध प्रश्न पर, पहले के निर्णय इस आधार पर आए थेः कानून जो पहले था, अब पहले के निर्णयों के एक पक्ष के कहने पर वापस लिया जा सकता है।

21. तत्काल मामलों, अर्थात् सिविल अपीलों और एस. एल. पी. में समीक्षा किए जाने वाले नमूना निर्णय/आदेशों को नीचे पढ़ा गया हैः

छुट्टी दे दी गई।

" 1 .

2 .

इस मुद्दे को, सिद्धांत रूप में, अपीलार्थियों के खिलाफ कवर किया गया है

2015 की विशेष अनुमति याचिका (ग) संख्या 21545 से उत्पन्न होने वाली 2015 की विशेष अनुमति याचिका (ग) संख्या 8467 और 2015 की सिविल अपील संख्या 5811 से उत्पन्न होने वाली 2016 की सिविल अपील संख्या 8477 में निर्णय। द्वारा दायर की गई अपीलें

अधिग्रहण प्राधिकरण, अर्थात् दिल्ली विकास प्राधिकरण, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।

तदनुसार, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

3 .

इन मामलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में,

4 .

अपीलार्थियों को इसका प्रयोग करने के लिए एक वर्ष की अवधि दी जाती है।

निष्पक्षता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत दी गई स्वतंत्रता

भूमि अधिग्रहण में क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता,

पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013

अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई नया अधिग्रहण नहीं होता है

5 .

उक्त अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू की जाती है।

आज से धारा के तहत अधिसूचना जारी करके

11 अधिनियम के अनुसार, अपीलार्थी, यदि कब्जे में हैं, तो

भूमि का भौतिक अधिकार वापस कर दें

मूल भूमि स्वामी।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

(मुझ पर जोर दें)

22. एस. एल. पी. (सी) सी. सी. संख्या 11422 में दिनांकित 01/07/2016 आदेश 2016 और 2016 का 11005 निम्नानुसार हैः

" देरी को खारिज कर दिया गया "।

23. ब्लैक लॉ डिक्शनरी एक "निर्णय" को "ए" के रूप में परिभाषित करती है।

तथ्यों पर विचार करने के बाद किया गया निर्धारण, और कानूनी संदर्भ में, कानून "; एक" राय "को" एक न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रयास किए गए या तर्क दिए गए कारण के संबंध में किए गए निर्णय का बयान, मामले में लागू कानून की व्याख्या, और उन कारणों का विवरण जिसके आधार पर निर्णय दिया गया है "के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अंतर बताता है

एक "निर्णय" और "राय" निम्नानुसार हैः

" 'निर्णय' आवश्यक रूप से 'राय' का पर्याय नहीं है। ए. न्यायालय का निर्णय उसका निर्णय है; राय कारण है।

उस निर्णय के लिए दिया गया, या के विचारों की अभिव्यक्ति जज "।

24. यह न्यायालय दोनों के बीच के अंतर पर विचार करते हुए

अभिव्यक्ति, अर्थात्, "निर्णय" और "राय" या कानून के दृष्टिकोण में कहा गया है कि, "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में सिद्धांत अपनी बाध्यकारी मिसाल से हटकर उन आधारों से अलग हैं जिन पर पक्षों के बीच एक अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है।" जीओवीटी।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

25. जब किसी पीड़ित पक्ष द्वारा समीक्षा आवेदन दायर किया जाता है, तो

इसे इस आधार पर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किए बिना एकतरफा खारिज किया जा सकता है कि विरोधी पक्ष को कारण दिखाने के लिए कहने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि समीक्षा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। यदि दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है, तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए या अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह उस स्तर पर है कि समीक्षा याचिका की रखरखाव पर भी विचार किया जाना चाहिए जैसे कि इसकी रखरखाव के लिए कोई बाधा है।

26. भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों या आदेशों की समीक्षा के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन या भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा घोषित किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। हालाँकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति (i) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों, या (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है।

27. भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के आधार पर बनाए गए एस. सी. नियम, 2013 के आदेश XLVII के नियम 1 में कहा गया है कि किसी भी दीवानी मामले में, समीक्षा आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के तहत बताए गए किसी भी आधार पर होती है। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का दायरा और शक्ति आदेश XLVII नियम 1 की रूपरेखा तक ही सीमित है।

सीपीसी। इसके अलावा, हालांकि समीक्षा करने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदान की गई है और इसलिए यह एक संवैधानिक शक्ति है, यह शक्ति निम्नलिखित द्वारा सीमित है -

सी. पी. सी. और एस. सी. नियम, 2013 जो ऊपर निकाले गए हैं। आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में कहा गया है कि एक पीड़ित व्यक्ति-[2023] 6 एस. सी. आर.

i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के कारण, जो उचित परिश्रम करने के बाद पीड़ित व्यक्ति की जानकारी में नहीं था या समीक्षा चाहने वाले व्यक्ति को उस समय पेश नहीं किया जा सका जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या
(ii) अभिलेख के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि के कारण,

या

(ग) किसी अन्य पर्याप्त कारण के कारण,

इस न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा की मांग कर सकते हैं।

28. इस प्रकार, यह ध्यान दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो खुद को व्यथित समझता है, केवल उपरोक्त तीन पर निर्णय या आदेश की समीक्षा की मांग कर सकता है।

जिसे समीक्षा के लिए आवेदन किया जाता है। 29. वर्तमान मामलों के समूह में, आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण के इर्द-गिर्द घूमने वाली इन समीक्षा याचिकाओं की स्थिरता पर दोनों पक्षों की ओर से गंभीर तर्क दिए गए हैं। इसलिए, मेरे विचार में, पुणे नगर निगम में निर्णय के बाद पारित निर्णयों को याद करना, जिसमें कोई संदेह नहीं है,

खारिज किए जाने पर, आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के आलोक में पुनर्विचार करना होगा।

30. आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के विचार पर, यह ध्यान दिया जाता है कि ऊपर निर्दिष्ट तीन मुख्य आधार हैं जिन पर एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा डिक्री या आदेश की समीक्षा की जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा समीक्षा के लिए बहुत जोर दिया गया है

याचिकाकर्ताओं ने यहाँ "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति पर तर्क दिया है कि चूंकि पुणे नगर निगम का निर्णय इसके विपरीत किया गया था

एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के इरादे और उद्देश्य और उसी को इंदौर विकास प्राधिकरण में पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, पुणे नगर निगम के बाद इस न्यायालय द्वारा पारित सभी निर्णयों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त कारण है। इसलिए, वर्तमान समीक्षा याचिकाएं दायर की गई हैं, हालांकि ऐसा करने में देरी हो सकती है।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

31. यह आगे तर्क दिया गया कि इंदौर विकास प्राधिकरण में फैसले के अनुच्छेद 365 को ध्यान में रखते हुए, पुणे में उक्ति

नगर निगम के साथ-साथ पुणे नगर निगम के बाद के सभी फैसलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। इसलिए, इंदौर विकास प्राधिकरण में बाद के निर्णय के आलोक में उन सभी गलत निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें याद करने का पर्याप्त कारण है। इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं।

32. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पर विचार करते समय, यह भी आवश्यक है

उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील और वकील द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखना क्योंकि उन्होंने आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण की ओर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। यह था।

यह तर्क दिया गया कि उक्त स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से इस आधार पर किसी निर्णय की समीक्षा पर रोक लगाता है कि बाद का निर्णय एक उच्च न्यायालय, यानी तत्काल मामले में पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा दिया गया है, जो पहले के निर्णय को उलट या उलट देता है। यह तर्क दिया गया था कि जब इस तरह का निर्णय विशुद्ध रूप से कानून के सवाल पर होता है, तो यह उन फैसलों की समीक्षा के लिए आधार नहीं है जिन्हें बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया है। यह था।

उन्होंने आगे कहा कि खारिज किए गए निर्णय अभी भी उक्त निर्णयों के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी हैं और उन्होंने अंतिमता प्राप्त कर ली है और स्पष्टीकरण को देखते हुए, उन्हें फिर से नहीं खोला जा सकता है या उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती है।

33. वर्तमान मामले के तथ्यों के स्पष्टीकरण को लागू करते हुए, यह तर्क दिया गया कि इंदौर विकास प्राधिकरण में, निर्णय

इंदौर विकास प्राधिकरण में पाँच न्यायाधीशों की पीठ पुणे नगर निगम में लिए गए निर्णय और पुणे नगर निगम के बाद के अन्य सभी निर्णयों की समीक्षा और उन्हें वापस लेने का आधार नहीं है। यह था। प्रस्तुत किया कि आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. का स्पष्टीकरण तत्काल मामलों में पुनर्विचार याचिका पर विचार करने पर रोक लगाता है। इसलिए, इन मामलों में, पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज/खारिज करना पड़ सकता है।

34. अभिव्यक्ति "कोई अन्य पर्याप्त कारण" जो समीक्षा के लिए एक आधार है और जो याचिकाकर्ता की समीक्षा याचिका का आधार है

संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, के निर्णय

प्रिवी काउंसिल इन चज्जू राम बनाम नेकी एयर 1922 पी. सी.

(1)

112 ; बिशेश्वर प्रताप साही बनाम पार्थ नाथ ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 233; [2023] 6 एस. सी. आर.

((ख)

हरि शंकर पाल बनाम अनंत नाथ मित्तर में संघीय न्यायालय

ए. आई. आर. 1949 एफ. सी. 106 और,

(iii) मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम इस मामले में यह न्यायालय। सबसे अधिक

रेव. मार पॉलोस एथानासियस ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 526 ने माना है कि शब्दों का अर्थ "आधार पर पर्याप्त कारण, कम से कम नियम में निर्दिष्ट लोगों के अनुरूप" होना चाहिए।

35. छज्जू राम बनाम नेकी (ऊपर) मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि इस आधार पर समीक्षा नहीं की जा सकती कि फैसला आगे बढ़ा

कानून की गलत व्याख्या। इसके अलावा, न्यायालय के पास समीक्षा का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह राय थी कि कानून के एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए था। यह भी देखा गया कि यदि कोई निर्णय कानून में गलत है जो समीक्षा का आदेश देने का आधार नहीं है। यदि किसी अदालत ने किसी बिंदु पर गलत निर्णय लिया है, तो त्रुटि रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट या उसके अनुरूप भी नहीं हो सकती है। इसलिए, बाद में

घटनाएँ या यह तथ्य कि न्यायालय ने बाद के मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया, समीक्षा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है (आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण के अनुसार)। 36. यद्यपि, आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" अभिव्यक्ति अपने दायरे में लेने के लिए पर्याप्त व्यापक है और

कई परिस्थितियों या स्थितियों के दायरे में जो आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के पहले भाग में नहीं आते हैं, जो कि दो आधार (i) और (ii) हैं जो ऊपर संदर्भित हैं, मेरे विचार में, उक्त प्रावधान का स्पष्टीकरण आधार (iii) में निर्णय की समीक्षा के लिए आधार के रूप में "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" अभिव्यक्ति के लिए एक अपवाद बनाता है।

स्पष्टीकरण के अपवाद की प्रकृति में होने के कारण इसे "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर पढ़ा जाना चाहिए।

आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. दूसरे शब्दों में, यदि कानून के किसी प्रश्न पर, किसी न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय (तत्काल मामले में बड़ी पीठ) के बाद के निर्णय द्वारा उलट दिया जाता है और उसे उक्त बाद के निर्णय के आधार पर फिर से खोला जाता है, तो न्यायालय के निर्णयों की कोई अंतिमता नहीं होगी, यहां तक कि पक्षकारों के बीच भी। इसलिए, यह देखा जाता है कि एक गलत निर्णय या आदेश भी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है, भले ही बाद में उसी निर्णय को उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय में उलट दिया जाए। अन्यथा, अराजकता होगी और न्यायालय के किसी भी निर्णय की कोई अंतिमता नहीं होगी जो सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो। सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय

प्रचलित कानून उक्त निर्णय के पक्षों के लिए बाध्यकारी है। केवल इसलिए कि उस निर्णय को बाद में एक बाद के निर्णय जीओवीटी द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

किसी अन्य मामले में किसी उच्चतर न्यायालय का निर्णय, ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा।

37. इस संदर्भ में, आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण के उद्देश्य और उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है

जोर दिया। मेरे विचार में, आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. का स्पष्टीकरण "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" अभिव्यक्ति के अपवाद की प्रकृति का है। इसका अर्थ यह होगा कि यदि किसी न्यायालय के दिमाग में किसी निर्णय की समीक्षा के लिए पर्याप्त कारण है, तो यह आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण में शामिल आधार/कारण पर नहीं हो सकता है। इस प्रकार, स्पष्टीकरण में उल्लिखित परिस्थितियाँ एक अपवाद होंगी और "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" के दायरे और दायरे से बाहर हैं।

38. एक स्पष्टीकरण को कभी-कभी किसी खंड में वस्तु और विषय-वस्तु के साथ-साथ इसमें निहित शब्दों के अर्थ की व्याख्या करने के लिए जोड़ा जाता है।

अनुभाग। मुख्य अधिनियम के दायरे में कुछ शामिल करने या कुछ को बाहर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा सकता है या

इसमें आने वाले कुछ शब्दों का अर्थ। यहां तक कि एक नकारात्मक स्पष्टीकरण जो कुछ प्रकारों या एक श्रेणी को धारा के दायरे से बाहर करता है, यह दिखाने का प्रभाव हो सकता है कि श्रेणी को एक तरफ छोड़ दिया गया है

बनाम। एम. पी. तिवारी और एक अन्य ए. आई. आर 1992 एस. सी. 1360। जब एक स्पष्टीकरण एक परंतुक की प्रकृति में है, इसका उपयोग सामान्य प्रावधान से विशेष मामलों को हटाने और विशेष रूप से उनके लिए प्रदान करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी

कानून के एक संदिग्ध बिंदु को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण जोड़ा गया है क्योंकि तत्काल मामले में आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. का स्पष्टीकरण वर्ष 1976 में किए गए संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। [स्रोतः जी. पी. सिंह की "सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत"-15 वां संस्करण।

39. यह एक अपवाद की प्रकृति में भी है जिसका उद्देश्य विशेष मामलों में अधिनियमन खंड को रोकना है। तत्काल मामले में स्पष्टीकरण

एक परंतुक की प्रकृति में होना एक योग्यता या अपवादात्मक प्रावधान है जो आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में कहा गया है जो समीक्षा की मांग के लिए आधार बताता है। इसलिए, परंतुक के उद्देश्य और इरादे को इसका पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। व्याख्या का उद्देश्य और उद्देश्य निम्नलिखित तीन सिद्धांतों से संबंधित हो सकता हैः

कोई आदमी नहीं (No Man)

((i)

एक ही कारण के लिए दो बार परेशान किया जाना चाहिए); [2023] 6 एस. सी. आर.

ब्याज का प्रचार-प्रसार (यह ब्याज में है)

((ख)

राज्य का कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए);

और

(iii) एक न्यायिक निर्णय (एक न्यायिक निर्णय)

सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए)।

ये सिद्धांत इंगित करेंगे कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए।

अन्यथा व्यक्तियों के अधिकार एक अंतहीन भ्रम में होंगे और न्याय को नुकसान होगा।

40. साथ ही, ऐसे निर्णयों की एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना प्रावधान में उल्लिखित दो कारणों के समान होना चाहिए, अर्थात् -

1) जो नए और महत्वपूर्ण पदार्थ की खोज से या

साक्ष्य, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, उसके ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था;

या

2)

चेहरे पर स्पष्ट किसी गलती या त्रुटि के कारण

रिकॉर्ड से।

41. आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि

तथ्य यह है कि विधि के किसी प्रश्न पर निर्णय, जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट दिया गया है या संशोधित किया गया है, ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा। इस प्रकार, यह रोक किसी न्यायालय के लिए अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए है, जब उससे वरिष्ठ न्यायालय ने बाद में कानून के किसी प्रश्न पर किसी निर्णय को उलट दिया हो या उसमें संशोधन किया हो। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, एक उच्चतर न्यायालय का अर्थ होगा इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ जो समीक्षा के लिए मांगे गए निर्णयों के विपरीत निर्णय या आदेश पारित करेगी।

42. हालांकि, कराधान के मामलों में स्थिति थोड़ी अलग है। भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भारत संघ (2006) 3 एससीसी 1, यह देखा गया कि किसी निर्णय का अतिनिर्णय बाद के निर्णय में होता है जहां निर्णय के पूर्ववर्ती मूल्य पर सवाल उठाया जाता है। कि हमारी न्यायिक प्रणाली में, यह उच्च अधिकार

क्षेत्र या शक्ति वाले न्यायालय के लिए खुला है, जिसके समक्ष कम शक्ति वाले पीठ के निर्णय को इस तरह के निर्णय को रद्द करने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए उद्धृत किया जाता है। लेकिन यह ओवररुलिंग दिल्ली टीएचआर की एन. सी. टी. होगी।

सचिव, भूमि और निर्माण V. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]ई पक्षों पर निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को परेशान करने के लिए है। उस मामले में, न्यायिक निर्णय का सिद्धांत बाद के वर्ष से संबंधित कर मामलों में जारी रहेगा, जिसमें एक पूर्व वर्ष शामिल है, न्यायालय व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है।

विभेदक या प्रति इनक्यूरियम है। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस पर भरोसा किया

उनके तर्कों में तर्क और साथ ही तर्कों का जवाब दें:

मथुरा प्रसाद सरजू जयसवाल बनाम डोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय (ऊपर) एक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न था जिसे अंततः नहीं माना जा सकता है।

न्यायालय के गलत निर्णय द्वारा निर्धारित। यह देखा गया कि यदि कानून की गलत व्याख्या से अदालत यह मानती है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो प्रश्न न्यायिक आधार के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसी तरह, एक गलत निर्णय द्वारा यदि न्यायालय अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है जो कानून के तहत उसके पास नहीं है, तो प्रश्न पक्षों के बीच न्यायपालिका के रूप में काम नहीं कर सकता है, क्या बाद के मुकदमे में कार्रवाई का कारण समान है या अन्यथा, क्योंकि यदि उन निर्णयों को निर्णायक माना जाता है, तो यह अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित पक्षों पर लागू कानून के एक विशेष नियम का दर्जा ग्रहण करेगा। विधानमंडल द्वारा घोषित नियम। उक्त निर्णय पर भरोसा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें विवाद शामिल था

रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का संदर्भ, जिसमें, यह था

यह देखा गया कि केवल किसी मुद्दे पर पिछला निर्णय न्यायिक है। जब यह कहा जाता है कि पिछला निर्णय न्यायिक निर्णय है, तो इसका मतलब है कि दावा किए गए अधिकार पर निर्णय लिया गया है और इसे फिर से प्रतिस्पर्धा में नहीं रखा जा सकता है। एक ही पक्ष के बीच। यह आगे देखा गया कि ए

निर्णयः कानून पर निर्णय को उन तथ्यों पर निर्णय से अलग नहीं किया जा सकता है जिन पर अधिकार आधारित है। कानून के मुद्दे पर निर्णय बाद में एक न्याय निर्णय होगा। समान पक्षों के बीच कार्यवाही, यदि बाद की कार्यवाही का कारण पिछली कार्यवाही के समान है, लेकिन तब नहीं जब कार्रवाई का कारण अलग है, न ही जब कानून को पहले के निर्णय के बाद से किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदला गया है, न ही जब निर्णय [2023] 6 एस. सी. आर. से संबंधित है।

अग्रिम न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्ववर्ती कार्यवाही का परीक्षण करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता, और न ही जब पूर्ववर्ती निर्णय किसी ऐसे लेन-देन को वैध घोषित करता है जो कानून द्वारा निषिद्ध है। इसलिए, यदि इन मामलों में पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही शुरू की जाती है, तो निर्णय में विवादित निर्णय के संदर्भ में आया है

इसी तरह, सहायक आयुक्त, आयकर, राजकोट बनाम सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक पर निर्भरता रखी गई। एक्सचेंज लिमिटेड (ऊपर)। एक निर्णय जो पहले एक उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया था और क्षेत्र को धारण करता था, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा नोटिस नहीं किया गया था,

बाद में, किसी मामले पर निर्णय लेते समय। इसलिए, यह देखा गया कि अभिलेख से एक स्पष्ट गलती थी क्योंकि उक्त न्यायाधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए, इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 (2) के तहत ठीक किया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय तत्काल मामले में भी लागू नहीं होता है क्योंकि जब पुणे नगर निगम

यह निर्णय लिया गया कि इंदौर विकास प्राधिकरण का कोई निर्णय नहीं था। इंदौर विकास प्राधिकरण की बड़ी पीठ का निर्णय पुणे नगर निगम के फैसले से पहले नहीं बल्कि बाद में लिया गया है। पुणे नगर निगम में निर्णय और निर्णय दिनांकित 08.02.2018 इंदौर विकास प्राधिकरण में फैसले तक मैदान में रहे जो 06.03.2020 पर घोषित किया गया था। इसलिए, इंदौर विकास प्राधिकरण में निर्णय एक बाद का निर्णय होने के कारण पुणे नगर निगम में निर्णय की समीक्षा और उसे वापस लेने का कारण नहीं बन सकता है

निगम के साथ-साथ उपरोक्त मामले के बाद अन्य निर्णय, दिल्ली टी. एच. आर. के पुणे नगर निगम एन. सी. टी. में उस निर्णय के आधार पर।

सचिव, भूमि और निर्माण V. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

निगम को बाद के मामले, इंदौर विकास प्राधिकरण में खारिज कर दिया गया है।

शकुंतला देवी बनाम कमला (2005) 5 एस. सी. सी. 390 में

घोषणात्मक डिक्री कानून के आधार पर दी गई थी जो उस समय थी यानी उस तारीख को जब घोषणात्मक डिक्री पारित की गई थी। लेकिन जब तक बाद के मुकदमे में उन्हीं पक्षों के बीच दूसरा घोषणात्मक आदेश पारित किया गया, तब तक इस न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत कानून घोषित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उक्त प्रावधान के संदर्भ में महिलाओं की संपत्ति का विस्तार हो जाता है। चूँकि दूसरी घोषणात्मक डिक्री की तारीख का कानून इस न्यायालय द्वारा की गई कानून की पूर्व घोषणा के विपरीत था, इसलिए पहले मुकदमे में पहले का डिक्री न्यायिक आदेश के रूप में काम नहीं करेगा।

समान पक्षों के बीच भी जब समान पक्षों के बीच कार्रवाई के एक अलग कारण पर दूसरे मुकदमे पर विचार किया जा रहा हो। इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों में, सिद्धांत

न्यायपालिका का नियम लागू नहीं होगा। न्यायनिर्णायक सिद्धान्तक सन्दर्भमे एहि न्यायालय द्वारा ई मत व्यक्त कयल गेल जे

यदि पूर्ववर्ती घोषणात्मक डिक्री, जिसे न्यायिक आधार बनाने की मांग की गई है, किसी न्यायालय द्वारा अधिकारिता के बिना दी जाती है या उस समय के मौजूदा कानून के विपरीत है और

मुद्दा पुनर्विचार के लिए आता है, इस तरह के पहले के घोषणात्मक डिक्री को बाद के मामले में न्यायिक आदेश नहीं माना जा सकता है, जब तक कि, निश्चित रूप से, किसी विशेष अधिनियम द्वारा संरक्षित नहीं किया जाता है। इसलिए, उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई बाद का वाद पहले की घोषणात्मक डिक्री पर आधारित है और ऐसी डिक्री दूसरी वाद पर विचार करने के समय प्रचलित कानून के विपरीत है और इसकी वैधता के बारे में है या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री है जिसे ऐसी डिक्री देने की कोई अधिकारिता नहीं है, तो सी. पी. सी. की धारा 11 के तहत न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों को आकर्षित नहीं किया जाएगा। फिर दूसरे मुकदमे में प्रतिवादी के लिए यह स्थापित करने के लिए खुला है कि पहले के मुकदमे में वादी द्वारा दी गई घोषणात्मक डिक्री अच्छे कानून पर आधारित नहीं है या ऐसी डिक्री देने वाले न्यायालय के पास ऐसी डिक्री देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उपरोक्त मामले में, दूसरा मुकदमा मुकदमे की संपत्तियों के कब्जे के लिए दायर किया गया था

पहले मुकदमे में पहले प्राप्त एक घोषणात्मक डिक्री के आधार पर जो [2023] 6 एस. सी. आर. के अनुसार एक वैध डिक्री नहीं पाई गई थी।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

उस समय प्रचलित विधि जब दूसरे वाद पर विचार किया गया था।

उपरोक्त निर्णय वर्तमान पर लागू नहीं होता है।

यहाँ जैसा मामला है, समीक्षा याचिकाएँ दायर की गई हैं

पुणे नगर निगम में निर्णय के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की समीक्षा, जिसे बाद में इस न्यायालय द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण में कानून के शुद्ध प्रश्न पर खारिज कर दिया गया है और समीक्षा याचिकाओं को आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण से प्रभावित किया गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें पुणे नगर निगम में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष बाद में एक नई याचिका दायर की गई हो। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि ये समीक्षा याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष पुणे नगर निगम के फैसले के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की समीक्षा के लिए दायर की गई हैं, जिसे एक

मेरा मानना है कि ये पुनर्विचार याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं। आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण में निहित बार।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में पाई गई अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" पर भरोसा किया है जो इन मामलों में समीक्षा के लिए एक आधार है। इस संबंध में, उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब पर भरोसा जताया, जिसमें यह देखा गया कि समीक्षा के लिए एक आवेदन भी बनाए रखने योग्य होगा यदि इसका पर्याप्त कारण मौजूद है। पर्याप्त कारण क्या होगा, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उक्त मामले में, मोरान में प्रिवी काउंसिल के एक फैसले पर निर्भरता रखी गई थी मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम। अधिकांश रेव. मार पौलोस एथानासियस (ऊपर), समीक्षा के अनुप्रयोग में सीमाओं से निपटने के लिए और यह देखा गया कि "कोई अन्य पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति का अर्थ "आधार पर पर्याप्त कारण होना चाहिए, कम से कम नियम में निर्दिष्ट लोगों के अनुरूप"।

नेताजी क्रिकेट क्लब (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि इस न्यायालय की ओर से एक गलती हुई थी जो जीओवीटी है।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इस न्यायालय को दिए गए वचन की प्रकृति की समझ में एक गलती शामिल होगी और इसलिए, समीक्षा आवेदन पर पहले दिए गए वचन की प्रकृति और उद्देश्य में गलती को स्वीकार करके विचार किया गया था।

यह न्यायालय। उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, समीक्षा याचिका पर विचार किया गया था।

(ङ) इसी संदर्भ में, लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000) 6 एस. सी. सी. 224 का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समीक्षा करने की शक्ति छद्म रूप से अपील नहीं है, बल्कि यह कानून का एक सृजन है और एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है। उक्त मामले में, प्रश्न राहत को तदनुसार ढालने के लिए बाद की घटना पर विचार करने के संबंध में था। यह देखा गया कि अपने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

न्यायालय अपनी गलती को सुधारने के उद्देश्य से बाद की घटना पर विचार कर सकता है। पार्टी नहीं हो सकती

न्यायालय के एक अधिनियम के कारण पीड़ित किया जाता है जो समानता के सर्वमान्य सिद्धांत में व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय का कोई कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह उक्ति न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित है या अन्यथा एक आदमी होगा

वह करने के लिए मजबूर किया जाता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है, जिसकी कानून अनुमति नहीं देता है (लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया)। उपरोक्त प्रस्ताव "किसी अन्य पर्याप्त कारण" के दायरे में आएगा जब न्यायालय की कोई गलती होती है जिससे अन्याय होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण द्वारा कवर की गई स्थिति में नहीं आती है, जो, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. का एक अपवाद है। अतः, उपरोक्त निर्णय ऐसा करता है

मामलों पर लागू नहीं होता है।

44. उपरोक्त मामले अपने स्वयं के तथ्यों को बदल देते हैं और अपवाद के दायरे में नहीं आते हैं जो एक स्पष्टीकरण की प्रकृति में है। उपरोक्त निर्णय तत्काल मामले में एक मिसाल नहीं हो सकते हैं जहां समीक्षा याचिका दायर की गई है ताकि पुणे नगर निगम में पारित फैसले के बाद विवादित आदेशों को समाप्त किया जा सके।

इस न्यायालय द्वारा जिसने इस क्षेत्र को तब तक रखा जब तक कि इसे बाद में इंदौर विकास प्राधिकरण में खारिज नहीं कर दिया गया। इन मामलों में आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. समीक्षा में दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इसकी अनुमति नहीं है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को इस दृष्टिकोण से संदर्भित किया जा सकता है जो मैं इस मामले में लेना चाहता हूंः

हरिदास दास बनाम उषा रानी बनिक (2006) 4 एस. सी. सी. 78 में, यह देखा गया है कि मामले की पुनः सुनवाई के लिए समीक्षा याचिका की अनुमति देने के लिए आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1 सी. पी. सी. में निर्धारित मापदंडों में से एक "रिकॉर्ड के सामने या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्पष्ट किसी गलती या त्रुटि के कारण" है। नियम का पहला भाग आवेदक के लिए जिम्मेदार स्थिति से संबंधित है, और बाद में एक न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है जो स्पष्ट रूप से गलत है या जिस पर दो निष्कर्ष संभव नहीं हैं। उनमें से कोई भी विवाद की पुनः सुनवाई को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि एक पक्ष ने मामले के सभी पहलुओं को उजागर नहीं किया था या शायद उन्हें अधिक बलपूर्वक तर्क दे सकता था और/या अदालत के लिए बाध्यकारी उदाहरणों का हवाला दे सकता था और इस तरह एक अनुकूल निर्णय का आनंद ले सकता था। यह आगे स्पष्ट रूप से देखा गया कि समीक्षा के लिए अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो किसी को प्रभावित कर सकती है

केवल अभिलेख को देखने के लिए तर्क की किसी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में, तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.

ए. पी. ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1372 की सरकारः (1964) 5 एस. सी. आर. 174, यह देखा गया है कि केवल गलत निर्णय और निर्णय के बीच एक वास्तविक अंतर है।

जिसे "त्रुटि" द्वारा दूषित किया जा सकता है

बिना किसी विस्तृत तर्क के एक पेटेंट त्रुटि के लिए कि कोई त्रुटि की ओर इशारा कर सकता है और इसलिए, रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि का एक स्पष्ट मामला बनाया जाएगा। रिलायंस को भारत संघ बनाम मोहम्मद पर भी रखा जा सकता है।

नय्यर खलील (2000) 9 एस. सी. सी. 252, जिसमें यह था यह मत व्यक्त किया गया कि यदि तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के बाद कोई आदेश पारित किया जाता है और उस समय तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को परेशान नहीं किया गया था, भविष्य में या बाद में भी यदि संविधान पीठ विपरीत दृष्टिकोण रखती है, तो यह एक बाद का निर्णय होगा जो आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण को देखते हुए समीक्षा के लिए आधार नहीं हो सकता है।

आई. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण। एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इसी तरह, शांति देवी बनाम हरियाणा राज्य में (आर. पी. डी.

(1999) 5 एस. सी. सी. 703 में दी गई सूचना के अनुसार, 1996 की सिविल अपील संख्या 14608 में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय की समीक्षा करने का कोई कारण नहीं है। उक्त पुनरीक्षण याचिका थी

अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी के साथ-साथ गुण-दोष दोनों के आधार पर खारिज कर दिया गया।

उषा भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 7 एस. सी. सी. 663 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी उपयुक्त मामले में इस मामले को फिर से खोल सकता है।

मामला दर्ज करें और पूरे मामले की पुनः सुनवाई करें, लेकिन ऐसा करते समय न्यायालय को आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस प्रकार, "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग जानबूझकर विधानमंडल द्वारा आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में संभव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

बाहर निकलें। इस स्तर पर निम्नलिखित प्रासंगिक निर्णयों पर भी चर्चा की जा सकती हैः

रिलायंस को गुजरात और अन्न राज्य में रखा जा सकता है। बनाम। न्यायमूर्ति आर. ए. मेहता (सेवानिवृत्त) (2013) 3 एस. सी. सी. 1, जिसमें इस न्यायालय के कई पहले के फैसलों के बाद, यह कहा गया था कि कोई निर्णय केवल अपना अधिकार नहीं खोता है।

क्योंकि यह बुरी तरह से तर्क दिया गया था, अपर्याप्त रूप से माना गया था या गलत तरीके से तर्क किया गया था।

वास्तव में, मदन मोहन पाठक और अन्न में। बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 803; (1978) 2 एस. सी. सी. 50, इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या संसद निर्णय के परिणामस्वरूप कोई अधिनियम लागू कर रही है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश उक्त निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव को अस्थिर कर देगा। उस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील को इस न्यायालय के समक्ष नहीं दबाया गया था और उक्त फैसले को अनुमति दी गई थी अंतिम हो जाता है। इस न्यायालय ने माना कि [2023] 6 एस. सी. आर. में कुछ भी नहीं था।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पारित अधिनियम जिसने उसी के प्रभाव को रद्द कर दिया था या जो फैसले को अस्थिर कर सकता था या बाध्यकारी को हटा सकता था। एक ही चरित्र। इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जीवन बीमा निगम जो उस मामले में एक पक्ष था, वर्ष के लिए अपने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नकद बोनस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार क्योंकि यह उक्त निर्णय द्वारा लगाए गए दायित्वों से मुक्त नहीं था, इसके बावजूद कि संसद ने इसके बाद इस आधार पर एक अधिनियम पारित किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय उसके पक्षों पर बाध्यकारी था। इसके अलावा, नीलिमा श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 610 में, संदर्भ दिया गया था

सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (3) (2006) 4 एस. सी. सी. 1 ("उमा देवी 3"), जिसमें संविधान पीठ ने कहा था, "यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो निर्णय इस निर्णय में तय किए गए सिद्धांत के विपरीत हैं, या जिन दिशाओं में हमने यहां जो माना है, उसके विपरीत हैं, वे पूर्ववर्ती के रूप में इसकी स्थिति से वंचित रहेंगे।" नीलिमा श्रीवास्तव में यह देखा गया है कि उपरोक्त टिप्पणियों का महत्व यह था कि पहले

में तय किए गए सिद्धांतों के विपरीत निर्णय उमा देवी के निर्णय को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता था। इसका मतलब यह नहीं है कि उमा देवी मामले में निर्णय से पहले दिए गए एक सक्षम न्यायालय के फैसले को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जो अंतिम रूप से पक्षकारों के बीच बाध्यकारी है। यह आगे देखा गया कि, "केवल

उन सिद्धांतों का ओवररुलिंग, जिन पर पहले

निर्णय पारित किया गया था, उच्च मंच के बाद के निर्णय से पक्षों के बीच एफ. टी. एन. एल. निर्णय को उखाड़ फेंकने और इसे शून्य करने का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी सिद्धांत के अतिनिर्णय और निर्णय के प्रत्यावर्तन के बीच अंतर है। द.

पक्षों के बीच निर्णय पर हमला किया जाना चाहिए और एक उच्च मंच द्वारा कानून द्वारा ज्ञात या मान्यता प्राप्त तरीके से उस पर काबू पाया जाना चाहिए। दिल्ली टी. एच. आर. के बाद के आई. सी. टी. द्वारा केवल सिद्धांतों का अतिनिर्णय।

सचिव, भूमि और निर्माण। एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

निर्णय खारिज किए गए निर्णय के पक्षों पर निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव को कम नहीं करेगा। यह माना गया कि

उमा देवी मामले के पैराग्राफ 54 का अवलोकन अन्य मामलों में पक्षों को उमा देवी के मामले में फैसले से पहले जारी निर्देशों का पालन करने के लिए दोषमुक्त नहीं करता है। मामला।

भारत संघ बनाम का भी संदर्भ दिया जा सकता है। मेजर एस. पी. शर्मा (2014) 6 एस. सी. सी. 351, जिसमें यह कहा गया था कि "एक सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संपार्श्विक कार्यवाही में इस कारण से चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यदि इसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो भ्रम और अराजकता होगी और कार्यवाही की अंतिमता का कोई अर्थ नहीं होगा"। यह आगे देखा गया कि यह है

पक्षकारों को न्यायालय के निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलने के लिए कानून में अनुमति नहीं है क्योंकि वे न केवल न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान हो सकते हैं, बल्कि न्याय के प्रशासन पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। जब इस न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की जाती है, तो दो सीमाएँ देखी गई हैं-एक अधिकार क्षेत्र और दूसरी स्वयं लागू की गई। प्राकृतिक संसाधन आबंटन में भी यही समझाया गया हैः

विशेष संदर्भ सं। 1 2012 में, डी. के. जैन, जे. के माध्यम से बोलते हुए, निम्नानुसारः

" पहली सीमा यह है कि इस न्यायालय के निर्णय की समीक्षा केवल अनुच्छेद 137 या उपचारात्मक याचिका के तहत की जा सकती है और किसी अन्य तरीके से नहीं। एक बार जब पक्षों के बीच समझौता तय हो जाता है, तो ऑपरेटिव डिक्री केवल समीक्षा में खोली जा सकती है।

निर्णय को रद्द करना-एक मिसाल के रूप में डिक्री को फिर से नहीं खोलता है।

दूसरी सीमा, न्यायिक अनुशासन का एक स्व-अधिरोपित नियम, यह था कि किसी कानूनी मुद्दे पर न्यायालय की राय को खारिज करना अपील में बैठने का गठन नहीं करता है, बल्कि केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि जब पहले निर्णय असंबद्ध है या प्रासंगिक या भौतिक तथ्यों के अभाव में दिया जाता है या यदि यह स्पष्ट रूप से गलत है और सार्वजनिक शरारत पैदा करने में सक्षम है। "[2023] 6 एस. सी. आर.

एस ने आगे कहा कि "वास्तव में, एक सिद्धांत का अतिनिर्णय अपीलीय अधिकार क्षेत्र का परिणाम है लेकिन एक परिणाम है

अंत शक्ति। इस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि हम एक दूसरे के खिलाफ डिक्री को प्रभावित नहीं करते हैं।

इसके अलावा, विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 में चंद्रचूड़, सी. जे. के माध्यम से बोलते हुए इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने आर. ई.

(1979) 1 एस. सी. सी. 380 ने कहा कि इस न्यायालय के लिए यह हमेशा खुला है कि वह पहले से तय किए गए प्रश्न की फिर से जांच करे और यदि आवश्यक हो, तो उसके द्वारा पहले लिए गए विचार को खारिज कर दे। लेकिन

जहाँ तक भारत के क्षेत्र में अन्य सभी न्यायालयों का संबंध है,

संबंधित, उन्हें अपने सलाहकार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में भी इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से बाध्य होना चाहिए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत।

यद्यपि टकटकी निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

इस न्यायालय को, के अनुच्छेद 137 के बल पर भारत का संविधान, यह न्यायालय, बाद के फैसले में, पिछले फैसले को खारिज कर सकता है, लेकिन यह अंतर-पक्षीय निर्णय में उस कथन को अस्थिर नहीं करेगा जिसे खारिज कर दिया गया था।

इसके अलावा, खारिज किए गए फैसले का पालन अन्य सभी मामलों में बाद तक किया जाना तय है।

पूर्ववर्ती निर्णय को निरस्त करने वाला निर्णय पारित किया जाता है।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमल सेनगुप्ता (2008)

8 एस. सी. सी. 612, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 22 (3) समीक्षा की शक्ति के संदर्भ में विचार के लिए आई। उक्त प्रश्न पर विचार करते समय, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उपरोक्त के तहत एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी

अधिनियम अपने आदेश या निर्णय की समीक्षा करने का हकदार है यदि आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में उल्लिखित आधारों में से कोई एक था

उपलब्ध है। उस मामले में, सवाल, क्या, बाद में

कानून के किसी बिंदु पर उसी या किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रतिकूल निर्णय को पहले के निर्णय की समीक्षा के उद्देश्य से रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच मतभेद था।

उक्त प्रश्न पर उच्च न्यायालय। यह देखा गया कि इस मुद्दे पर राय की द्वैतता को देखते हुए, विधि आयोग ने इसका संज्ञान लिया और

आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में संशोधन का सुझाव दिया।

जिसके कारण दिल्ली आई. सी. टी. टी. एच. आर. के आदेश के बाद स्पष्टीकरण सम्मिलित किया गया।

सचिव, भूमि और निर्माण। एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उच्च मंच द्वारा ठीक किया गया, बाद वाले को केवल समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। एक समीक्षा याचिका का एक सीमित उद्देश्य होता है और इसे "भेष बदलकर अपील" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नालागढ़ देहाती कॉप में। ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड बनाम

बेली राम ए. आई. आर. 1981 एच. पी. 1, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने स्पष्टीकरण पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय या उसी न्यायालय की एक बड़ी पीठ का निर्णय द्वारा कवर किए गए बिंदु पर एक विपरीत दृष्टिकोण लेना उस निर्णय के रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि के बराबर नहीं है जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

ज्ञान चंद्र द्विवेदी बनाम द्वितीय ए. डी. जे., कानपुर ए. आई. आर. 1987 ऑल 40 का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें यह कहा गया था

यह पाया गया कि केरल को छोड़कर लगभग सभी उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय इस तथ्य के बारे में सर्वसम्मत था कि यदि किसी निर्णय में कानून के एक बिंदु को किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा बदल दिया गया है, तो वह निर्णय की समीक्षा के लिए एक वैध आधार नहीं दे सकता है। इसके अलावा, नेताजी क्रिकेट क्लब (उपरोक्त) के संदर्भ में, जिस पर समीक्षा याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्भरता रखी गई है, यह [2023] 6 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यह देखा गया कि अभ्यास पर विचार बाद की घटना के आधार पर उस मामले में समीक्षा अधिकार क्षेत्र विशुद्ध रूप से प्रतिद्वंद्वी क्रिकेट संघों के बीच विवाद से जुड़े उक्त मामले के तथ्यों तक ही सीमित था। इसलिए, यह राय दी गई कि नेताजी क्रिकेट क्लब में निर्णय को सामान्य अनुपात के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त निर्णयों से सिद्धांतों का वर्णन करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, तत्काल मामलों से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को दोहराया जाता हैः

i) आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "कोई अन्य पर्याप्त कारण" की व्याख्या उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट अन्य आधारों के आलोक में की जानी चाहिए।

(ii) किसी त्रुटिपूर्ण आदेश/निर्णय में सुधार नहीं किया जा सकता है।

समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की आड़ में।

सिविल अपील सं. 1 में हाल ही में दिए गए एक फैसले में। 5503-5504 एस. एल. पी. (सी) संख्या से उत्पन्न होने वाला वर्ष 2022। 9602 9603 2022 की सिविल अपील संख्या 5505 के साथ 2022 के एस. एल. पी. (सी) सं. 11290 से उद्भूत, एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। वी. नारायण रेड्डी (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1034

चज्जू राम बनाम के उपरोक्त मामलों का विशिष्ट संदर्भ दिया था। नेकी ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 112 और मोरान मार बासेलियोस कैथोलिक बनाम। अधिकांश रेव. मार पॉलोस एथानासियस (ऊपर) जिसमें "ऑर्डर XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में दिखाई देने वाले किसी भी अन्य पर्याप्त कारण" शब्दों का अर्थ "कम से कम नियम में निर्दिष्ट लोगों के अनुरूप आधारों पर पर्याप्त कारण" के रूप में परिभाषित किया गया था। " इन मामलों का संदर्भ देते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया कि आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक आवश्यक सिद्धांत यह है कि समीक्षा "किसी अन्य पर्याप्त कारण" के लिए बनाए रखने योग्य होगी, और इस आधार के दायरे को कम से कम नियम में निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप पर्याप्त कारण के रूप में संकुचित कर दिया है।

उपरोक्त मामले में भारत संघ बनाम संदूर

मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड और अन्य। (2013) 8 एस. सी. सी. 337 को भी जोड़ा गया है जिसमें इस न्यायालय ने जी. ओ. वी. टी. पर वर्णन किया है।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

समीक्षा कब बनाए रखने योग्य नहीं होगी, इसके कुछ आधार निम्नानुसार हैं: - " (i) पुराने और अस्वीकृत तर्क की पुनरावृत्ति निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है।

असंगत आयात की छोटी गलतियाँ,

((ख)

(iii)

समीक्षा कार्यवाहियों की तुलना इसके साथ नहीं की जा सकती है

मामले की मूल सुनवाई,

(iv) समीक्षा तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि आदेश के सामने प्रकट होने वाली भौतिक त्रुटि, इसकी दृढ़ता को कम नहीं करती है या इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है।

समीक्षा किसी भी तरह से छद्म अपील नहीं है।

(v)

जिससे एक गलत निर्णय को फिर से सुना और सही किया जाता है लेकिन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए निहित होता है,

(vi) इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना है।

समीक्षा के लिए आधार नहीं हो सकता है,

(vii) अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए।

एक त्रुटि नहीं है जिसे बाहर निकालना है और

खोजते हुए,

(viii) अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से भीतर है।

अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, इसे समीक्षा याचिका में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और

(ix)

समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं है जब एक ही राहत है

मुख्य मामले पर बहस करते समय मांगा गया था

नकार दिया गया "।

47. वास्तव में, हरियाणा राज्य बनाम जी. डी. गोयनका पर्यटन

निगम निगम लिमिटेड (2018) 3 एस. सी. सी. 585, इस न्यायालय ने निर्देश दिया

कि एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 की व्याख्या पर एक बड़ी पीठ को निर्देश देने पर अंतिम निर्णय लेने तक, उच्च न्यायालयों को उक्त व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले पर विचार नहीं करना चाहिए।

इसलिए, 21.02.2018 के बीच घोषणा की तारीख तक

इंदौर विकास प्राधिकरण की बड़ी पीठ द्वारा दिए गए निर्णय अर्थात्, उच्च न्यायालयों से एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटने के लिए अनुरोध नहीं किया गया था और इसकी प्रयोज्यता -

एल. ए. अधिनियम, 1894 के तहत होने वाला अधिग्रहण, यानी केवल एल. ए. अधिनियम, 1894 के तहत शुरू किए गए अधिग्रहण के रूप में। लेकिन जहां तक मामलों का निर्णय लिया गया था [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों से पहले या पुणे नगर निगम में कथन के बल पर इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों को उन मामलों के पक्षों के बीच शून्य नहीं ठहराया जा सकता है। पुणे नगर निगम में फैसले को खारिज कर दिया गया है, यह केवल इंदौर विकास प्राधिकरण में बड़ी पीठ के कथन के बाद एक मिसाल के रूप में अपना मूल्य खो देगा और इसलिए, इसे एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

यह विचारणीय नहीं है और इस न्यायालय के निर्णय और आदेशों की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए और समीक्षा याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं। 49. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुणे नगर निगम के फैसले के बाद देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में

निगम, रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है और उक्त रिट याचिकाओं या अदालत के भीतर की अपीलों में पारित किए गए उक्त निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिमता प्राप्त कर सकते हैं और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी हो सकते हैं। यदि इन समीक्षा याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और इन्हें विचारणीय माना जाता है तो सैकड़ों समीक्षा याचिकाएं होंगी जो पुणे नगर निगम में फैसले के बाद रिट याचिकाओं में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की समीक्षा के लिए दायर की जाएंगी। यह एक पेंडोरा बॉक्स खोलेगा और पक्षों के बीच निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति को परेशान करेगा और मुकदमेबाजी में अंतिमता के सिद्धांत के विपरीत होगा।

50. इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र (उपरोक्त) मामले में, पैराग्राफ 217 में दो माननीय न्यायाधीशों के बहुमत ने यह मत व्यक्त करते हुए कि पुणे नगर निगम में दिए गए निर्णय और पुणे नगर निगम के बाद के अन्य निर्णयों का पालन किया जाता है।

कि "पुणे नगर निगम के आधार पर दिए गए निर्णय इस निर्णय के आधार पर उचित मामलों में समीक्षा के लिए खुले हैं"।

हालाँकि, इंदौर विकास प्राधिकरण की बड़ी पीठ ने फैसले के पैराग्राफ 365 या किसी अन्य पैराग्राफ में उपरोक्त का अवलोकन नहीं किया। वास्तव में, पाँच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का गठन क्यों किया गया था, इसका कारण 2 का बहुमत थाः 1 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र में यह विचार रखा गया था कि पुणे नगर निगम

निगम आकस्मिक था और पुणे नगर निगम में भी निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया था। इसलिए, बनाने के लिए

एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) की व्याख्या से संबंधित कानून के प्रश्न पर एक आधिकारिक घोषणा और चूंकि इस न्यायालय द्वारा सरकार की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए कई आदेश पारित किए गए थे।

एन. सी. टी. दिल्ली टी. एच. आर. सचिव, भूमि और निर्माण विभाग। वी. एम/एस। के. एल. राठी स्टील्स लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

पुणे नगर निगम में निर्णय, पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का गठन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था। अब, पाँच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ का सर्वसम्मत निर्णय लागू होता है। तथापि, उक्त निर्णय के अनुच्छेद 365 में या किसी अन्य अनुच्छेद में, ऐसा कोई अवलोकन नहीं है कि पुणे नगर निगम में निर्णय के साथ-साथ पुणे नगर निगम के बाद के सभी निर्णयों को रद्द करने पर

निगम, खारिज किए गए निर्णयों की समीक्षा की जानी चाहिए। ने कहा कि

अवलोकन स्पष्ट रूप से इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है क्योंकि इस तरह की समीक्षा आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार्य है, जिस पहलू पर ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वास्तव में, आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण पर इंदौर में बहुमत वाले दो विद्वान न्यायाधीशों ने ध्यान नहीं दिया है। विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र।

51. एक और पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कि दो मामलों में अर्थात पुणे नगर निगम के मामले में

(08.02.2018 पर निर्णय लिया गया जिसे इंदौर विकास प्राधिकरण (06.03.2020 पर निर्णय लिया गया) द्वारा तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, लेकिन निर्णय को दिनांकित आदेश के माध्यम से भी वापस ले लिया गया है।

16.07.2020 . इसी तरह, पुणे नगर निगम के बाद इस न्यायालय द्वारा पारित 31.08.2016 के एक अन्य फैसले को वापस ले लिया गया है

इसी पीठ द्वारा दिनांकित 15.02.2022 आदेश द्वारा। मुझे स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि उक्त आदेश/निर्णय दिनांक 08.02.2018 और 31.08.2016 को वापस लेना वर्तमान मामलों की तरह समीक्षा याचिकाओं की स्थिरता पर कोई तर्क दिए जाने के अभाव में और आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखे बिना किया गया था। मुझे लगता है कि आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. का स्पष्टीकरण इन मामलों में इन समीक्षा याचिकाओं की बहुत रखरखाव के लिए एक बाधा है। इसलिए, गुण-दोष पर दीवानी अपीलों/विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई से पहले, पहले पारित निर्णय को याद करते हुए पारित आदेशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।

इंदौर विकास प्राधिकरण में इस आधार पर निर्णय के बाद अब तक वापस लिए गए सभी निर्णय और आदेश कि पुणे नगर निगम का निर्णय गलत तरीके से किया गया था, भी ऊपर की गई चर्चा को देखते हुए कानून के अनुसार नहीं हैं। 52. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन निर्णयों/आदेशों की समीक्षा करने की मांग की गई है, वे कानून में अस्वीकार्य हैं, जमीनी वास्तविकताएं भी मान्य होंगी।

अब पारित होने के कारण ध्यान में रखा जाना चाहिए

समय। यह ध्यान दिया जाता है कि एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 [2023] 6 एस. सी. आर. की प्रकृति में है।

एक बचत खंड जो उसे पढ़ने पर स्पष्ट होता है, जिसमें एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा 2 का परंतुक भी शामिल है। इसका उद्देश्य अधिग्रहण को यथासंभव बचाना है। संभवतः परंतुक से संकेत लेते हुए, इस न्यायालय ने विवादित निर्णयों में याचिकाकर्ताओं को एक के भीतर नए सिरे से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी

कुछ मामलों में ऐसा न होने पर भूमि को वापस किया जाना था यदि भूमि के मालिक समीक्षा याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हैं। इस प्रकार, यदि एल. ए. 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी करके एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर कोई नई अधिग्रहण कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है और यदि समीक्षा याचिकाकर्ताओं के पास भूमि का कब्जा है, तो उसका भौतिक कब्जा मूल भूमि मालिकों को वापस कर दिया जाएगा।

53. इन परिस्थितियों में, समीक्षा याचिकाकर्ताओं/आवेदकों को जो एकमात्र राहत दी जा सकती है, वह है शुरू करने की अवधि बढ़ाना।

एल. ए. अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण आज से एक वर्ष की अवधि के लिए। तब तक, उन मामलों में जहां अधिग्रहण निकाय द्वारा भूमि का भौतिक कब्जा पहले ही ले लिया गया है या लाभार्थी को सौंप दिया गया है, वही अधिग्रहण निकाय या लाभार्थी के पास बना रहेगा, जैसा भी मामला हो।

54. इस प्रकार, समीक्षा याचिकाकर्ताओं/आवेदकों को केवल एक सीमित राहत दी जा रही है और इस न्यायालय के विवादित निर्णयों/आदेशों को नहीं दिया जा रहा है

पुनरीक्षण याचिकाओं में समीक्षा की गई। कुछ मामलों में इसे दाखिल करने में देरी होती है। यह समीक्षा के लिए मांगे गए निर्णयों/आदेशों को पारित करने की तारीख से समय बीतने और एल. ए. अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) की व्याख्या में अनिश्चितता के कारण है।

कोविड-19 और विवादित आदेश में ही नए अधिग्रहण शुरू करने के लिए एक साल का समय दिया जा रहा है। अतः उक्त विलम्ब को माफ कर दिया जाता है। 55. जहां विवादित आदेशों में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है और विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, याचिकाकर्ता एल. ए. अधिनियम, 2013 के तहत नए सिरे से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

56. परिणामस्वरूप, समीक्षा याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त में किया जाता है।

शर्तें।

कोई लागत नहीं।

मामला माननीय सीजेआई के

समक्ष रखा जाए।

निधि जैन

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)